



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, JULY 11, 2014
(ASADHA 20, 1936 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 11th July, 2014

No. 28—HLA of 2014/64.— The Haryana Sikh Gurdwaras (Management) Bill, 2014, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 28—H.L.A. of 2014

THE HARYANA SIKH GURDWARAS (MANAGEMENT) BILL, 2014

A

BILL

to provide for the better autonomous management and effective supervision of Sikh Gurdwaras and Gurdwara properties in the State of Haryana and matters related thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Haryana Sikh Gurdwaras (Management) Act, 2014.

Short title,
extent and
commencement.

(2) It shall extend to the whole of the State of Haryana.

(3) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification, in the Official Gazette, appoints.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

Definitions.

(a) "appointed day" means the date on which this Act shall come into force;

- (b) "Committee" means the Haryana Sikh Gurdwara Management Committee established under section 3 the Act;
- (c) "State" means the territorial jurisdiction within political and geographical boundaries of the State of Haryana;
- (d) "Commissioner Gurdwara Elections" means the Commissioner Gurdwara Elections, appointed by the State Government under section 13 of the Act and also includes Special Commissioner, Additional Commissioner or Joint Commissioner or Deputy Commissioner Gurdwara Elections, as the Government, may appoint. from time to time;
- (e) "Gurdwara" means the Sikh Gurdwara situated in the State as were. immediately before the appointed day, being managed by or affiliated to any Board, Committee or. Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee and were being governed under the management, control and supervision of the Sikh Gurdwaras Act, 1925 or any other corresponding law, if any, on the subject and also includes historical Sikh Gurdwaras. notified Sikh Gurdwaras or a local Gurdwaras.

Explanation 1.—A historical Gurdwara means a Gurdwara which has some history connected with any of the ten Sikh Gurus and are as mentioned in Schedule I.

Explanation 2.—Notified Gurdwara means a Gurdwara which has annual income of more than rupees twenty lacs as mentioned in Schedule II.

- (f) "Gurdwara property" means,-
- (i) all movable and immovable property of a Gurdwara or any institution which, immediately before the appointed vested or was kept in deposit in the name of any Board, Trust, Committee, Gurdwara Management or was being regulated under the provisions of the Sikh Gurdwaras Act, 1925 or rules made thereunder;
- (ii) all offerings in cash or kind made to various Gurdwaras or institutions managed or controlled by any Committee, Board, Trust or regulated under the provisions of the Sikh Gurdwaras Act, 1925 immediately before the appointed day;
- (iii) all property in cash or kind, movable or immovable that may be acquired, purchased, exchanged or otherwise kept under the management of Gurdwaras or the Committee or the Trust or Board, from time to time;
- (iv) all grants, donations, contributions or offerings made, from time to time, by any person(s) of authority or any

juristic person to the Gurdwaras or the committee and also includes any actionable claim or a negotiable instrument with respect to any such Gurdwara or any property under its control;

- (g) "local Gurdwara" means a Gurdwara within the State of Haryana mentioned in Schedule III other than a historical Gurdwara and notified Gurdwara as shown in Schedule I and II respectively;
- (h) "Executive Board" means an Executive Board elected under section 16 of the Act;
- (i) "Amritdhari Sikh" means a Sikh who has taken Khande-Ka-Amrit or Khande-Ka-Pauhal prepared and administered according to the tenets of the Sikh religion and rites at the hands of five Piaras and beloved ones;
- (j) "Sikh" means a person who professes the Sikh religion, believes and follows the teachings of Sri Guru Granth Sahib and the ten Gurus only and keeps unshorn hair. For the purposes of this Act, if any question arises as to whether any person is or is not a Sikh, he shall be deemed respectively to be or not to be a Sikh accordingly as he makes or refuses to make in the manner, as may be prescribed, the following declaration –
"I solemnly affirm that I am a Keshadhari Sikh, that I believe in and follow the teachings of Sri Guru Granth Sahib and ten Gurus only, and that I have no other religion";
- (k) "Sehajdhari Sikh" means a person, who performs ceremonies according to Sikh rites, does not use tobacco or Kutha (Halal meat) and who can recite 'Mool-mantra';
- (l) "Patit" means a keshdhari Sikh who trims or shaves his beard or hair (Keshas) or who after taking Amrit commits anyone or more of the four Kurahits (Prohibitions);
- (m) "registered Singh Sabha" means a Singh Sabha registered as a society under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), which is managing or controlling a local Gurdwara in Haryana;
- (n) "regulations" means the regulations made under this Act by the Committee;
- (o) "rules" means the rules made under this Act by the State Government;
- (p) "electoral roll" means a list of eligible voters maintained by the Commissioner Gurdwara Elections, from time to time, as per the eligibility criteria of a voter;
- (q) "eligibility criteria of voter" means an Amritdhari Sikh, a Sikh, who is eighteen years of age, but not a Patit Sikh and is not an insolvent, mentally retarded or an insane person;

Provided that any person registered as a voter has no right to contest the Gurdwara Elections except an Amritdhari Sikh:

- (r) "prescribed" means prescribed by rules or regulations, as the case may be; and
- (s) "Schedule" means schedule appended to this Act.

CHAPTER-II

THE COMMITTEE

Establishment
of the
Committee.

3. (1) There shall be established a Committee to be called the Haryana Sikh Gurdwara Management Committee for the proper management and control of the Gurdwaras and Gurdwara properties within the State of Haryana with effect from the date, which the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

(2) The Committee shall be a body corporate with the name aforesaid having perpetual succession and a common seal and shall by such name sue and be sued.

(3) The Committee shall have its Head Office at Kurukshetra and regional offices at Panchkula and Jind.

Composition of
Committee.

4. The Committee shall consist of,—

- (a) forty members to be elected from various wards to which the entire State shall be divided in accordance with the provisions of this Act;
- (b) nine members to be co-opted by the elected members of the Committee referred to in clause (a) in the manner hereinafter:—
 - (i) two members shall be co-opted from amongst Sikh women;
 - (ii) three members shall be co-opted from the persons belonging to Scheduled Castes and Backward Class category;
 - (iii) two members shall be co-opted from amongst the General category having extensive knowledge of Sikh tenets;
 - (iv) two members shall be co-opted from amongst the Presidents of the registered "Singh Sabhas" in the State:

Provided that co-opted members shall have the right to vote for the purpose of election of office bearers and other members of the Executive Board:

Provided further that the term of office of co-opted members shall be co-terminus with the elected members of the Committee.

Term of
office.

5. (1) Save as otherwise provided in this section, the term of office of a member of the Committee shall be five years and shall commence from the date on which the first meeting of the Committee is held under section 15.

(2) When a vacancy occurs in the Committee owing to death, resignation or otherwise of a member, a new member shall be elected or co-opted, as the case may be, in the same manner, in which the member whose seat is to be filled was elected or co-opted and every such member shall continue to hold office so long only, as the member who elected or co-opted would have been entitled to hold office, if the vacancy had not arisen.

(3) The Committee members shall continue in office until the notification of election or co-option of his successor is published under section 12.

6. (1) For the purpose of election of members of the Committee, the State shall be divided into forty single member wards, in the manner, as may be prescribed.

Delimitation of wards.

(2) The Commissioner Gurdwara Elections may, from time to time, in consultation with the Committee, alter or amend the number or territorial areas of the wards.

7. (1) An electoral roll with photograph of electors/voters shall be prepared for every ward, in such manner, as may be prescribed by rules, in which the names of all persons entitled to be registered as voters in that ward, shall be entered.

Electoral roll.

(2) No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for any ward more than once.

(3) No person shall be entitled to be registered in the electoral roll in more than one ward.

(4) The registration of electoral rolls shall be compulsorily registerable by the Gurdwara Election Commission.

8. Every person who —

Qualifications of voters.

(a) has been ordinarily resident of a ward for not less than six months at the time of registration as a voter;

(b) is a Sikh of not less than eighteen years of age,

shall be entitled to be registered in the electoral roll for that ward :

Provided that no person shall be registered as a voter who -

(a) is a Patit or trims or shaves his beard or Keshas;

(b) uses tobacco, Kutha (Halal meat) or intoxicants;

(c) takes alcoholic drinks.

9. Every person registered on the electoral roll shall have right to vote:

Right to vote.

Provided that no person shall be entitled to vote at an election in more than one ward.

10. (1) A person shall not be qualified to be elected or co-opted as member of the Committee, if such person —

Qualifications of member.

- (a) has not attained the age of twenty-five years;
- (b) is not a citizen of India;
- (c) in the case of an elected member, if he is not registered as a voter in the electoral roll in the concerned ward;
- (d) is not an Amritdhari Sikh;
- (e) is a Patit or being an Amritdhari Sikh, trims or shaves his beard or Keshas;
- (f) takes alcoholic drinks or takes intoxicants or uses Kutha (Halal meat);
- (g) is of unsound mind and has been so declared by a competent court or medical authority;
- (h) is an undischarged insolvent;
- (i) has been convicted of an offence involving moral turpitude or has been dismissed from service by Government, Board, Committee or any other local authority, on account of moral turpitude;
- (j) is a paid servant of any Gurdwara;
- (k) is unable to read or write Punjabi in Gurmukhi script.

Explanation - A person shall be deemed to—

- (i) be able to read Gurmukhi, if he is able to recite Sri Guru Granth Sahib in Gurmukhi; and
- (ii) write Gurmukhi, if he fills his nomination paper for the election to the Committee in Gurmukhi in his own handwriting;

Provided that if any question arises whether a candidate is or is not able to read and write Gurmukhi, the question shall be decided, in such manner, as may be prescribed.

(2) If a person sits in a meeting or votes as a member of the Committee when he knows that he is not a member, such person shall be liable to be a penalty of five hundred rupee per day to be imposed by the President of the Executive Board, till he continues as such and the said amount shall be recoverable as an arrears of land revenue, besides being disqualified for future membership or as an elector or voter, as the case may be.

Elections.

11. Election of members of the Committee under clause (a) of section 4 whether for the purpose of initial constitution of Committee under section 3, or for filling up the vacancies arising by efflux of time or a casual vacancy, shall be conducted by the Commissioner Gurdwara Elections in accordance with the rules made in this behalf:

Provided that no election shall be held to fill a casual vacancy occurring within six months prior to the holding of a general election under this section.

12. (1) The names of all persons elected as a member of the Committee shall, as may be, after such election be published by the Commissioner Gurdwara Elections, in the manner, as prescribed.

Publication of results.

(2) The names of all persons so elected or co-opted as member under clause (b) of section 4 shall also likewise be published by the Commissioner Gurdwara Elections in the manner, as may be prescribed.

13. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint a suitable person to be the Commissioner Gurdwara Elections in whom shall vest the powers of superintendence, direction, control and preparation of electoral rolls for, and conduct of, elections of members of the Committee.

Commissioner Gurdwara Elections.

(2) The State Government may also appoint Special Commissioner Gurdwara Elections, Additional Commissioner Gurdwara Elections or Joint Commissioner Gurdwara Elections or Deputy Commissioner Gurdwara Elections keeping in view the fitness of things and proper administrative adjustment of the provisions of this Act, rules and regulations made thereunder.

(3) A person shall not be qualified for appointment as the Commissioner Gurdwara Elections unless he is a citizen of India and possesses judicial, administrative or executive experience as a senior officer for a period of not less than ten years.

(4) Subject to the provisions of section 50, the term of office and the terms and conditions of service of the Commissioner Gurdwara Elections shall be such, as may be prescribed or as the Government may deem fit.

14. (1) After declaration of the result, the meeting of newly elected members shall be called by the Commissioner Gurdwara Elections and in the said meeting, requisite number of members shall be co-opted. The first meeting of the elected members shall be held as early as possible and not later than fifteen days after the publication of the results of the election under sub-section (1) of section 12.

First meeting of the members after election.

(2) The Commissioner Gurdwara Elections may adjourn the first meeting of the elected members to any other date or dates, being not later than fifteen days from the date of the first meeting aforesaid, if the elected members are unable to co-opt or nominate the persons during the first meeting.

15. (1) The Commissioner Gurdwara Elections shall convene the first meeting of the Committee to meet on such place, date and time, not later than fifteen days after publication of the names of the members co-opted under sub-section (2) of section 12, as he may deem fit.

First meeting of the Committee.

(2) The first meeting shall be held at such time and place as the Commissioner Gurdwara Elections may appoint and shall be presided over by him:

Provided that while so presiding over the said meeting of the Committee, the Commissioner Gurdwara Elections shall have no right to vote.

(3) Every member of the Committee shall, before taking his seat make and subscribe before the Commissioner Gurdwara Elections an oath according to the form set out for the purpose in the Schedule IV.

(4) The members of the Committee shall proceed thereafter to elect from amongst themselves a *protem* Chairman, in such manner, as may be prescribed, who shall preside over at the meeting until the Committee elects its new President.

Election of
office bearers of
the Executive
Board.

16. (1) The Committee shall, at its first meeting after the election of the *protem* Chairman under sub-section (4) of section 15, elect from amongst its members a President, who shall conduct the election of the office bearers and members of the Executive Board contemplated under this section.

(2) The Committee shall also at its first meeting elect from amongst its members a Senior Vice President, Junior Vice President, General Secretary and a Joint Secretary (hereinafter referred to as office bearers), and shall also at the same meeting in like manner elect six of its members of the Executive Board and the office bearers and members so elected, shall be the Executive Board of the said Committee.

(3) The election of the President and other office bearers and members of the Executive Board under sub-section (1) or sub-section (2) or any subsequent election to any of those office bearers shall be held in such manner, as may be prescribed.

(4) The provisions of sub-section (2) of section 5 shall apply so far as may be to the filling of a casual vacancy in the membership of the Executive Board as they apply in relation to casual vacancies in the membership of the Committee herein above.

(5) No member of the Committee, shall, at the same time, hold any of the offices referred to in sub-section (1) or sub-section (2) herein above. in more than one capacity.

(6) The President and other office bearers of the Executive Board elected under sub-section (1) or sub-section (2) shall hold office for a term of two and a half years, which will be co-terminus with the term of the Committee:

(7) The President or any other office bearer shall be eligible for three more terms but not more than ten years in any case only in all ensuing elections or subsequent thereto and shall be eligible to hold the office of the President or other office bearer on the same post:

(8) Till the elections are held after the enforcement of this Act, an Adhoc Committee comprising of 41 members shall be nominated by the Government of Haryana to manage, supervise and take over all the assets of the Gurdwaras including movable and immovable properties of every description and shall continue to hold such charge to manage the affairs of Haryana Sikh Gurdwara Management Committee till the new Committee is constituted, which should not be later than eighteen months including the period spent on delimitation of wards, registration of eligible voters etc.

Provided further that all the forty one members so nominated by the Government shall elect their President, Senior Vice President, Junior Vice President, General Secretary, Joint Secretary and six members, who shall be the members of the Executive Board of the Committee in its first meeting to be convened and presided over by the officer appointed by the Government. The adhoc committee and the Executive Board shall cease to exist after the formation of a new Executive Committee:

Provided further that after the new elected Haryana Gurdwara Management Committee takes over the charge, the adhoc committee shall hand over the charge to the newly elected committee.

17. (1) A member of the Committee may resign his office in writing under his signatures addressed to the President.

Vacation of seat, resignation and removal of members and officer bearers.

(2) An office-bearer or any other member of the Executive Board –

- (a) shall vacate his office if he ceases to be a member of the Committee;
- (b) may at any time in writing under his signatures addressed to the Committee resign his office; and
- (c) may be removed from his office by a resolution of the Committee passed by two-third majority of the total members of the General House:

Provided that no resolution for the purpose of clause (c) shall be moved unless it is supported by not less than fifteen members of the Committee and fifteen days' notice has been given of their intention to move the resolution.

(3) The resignation of office bearers under sub- section (1) or clause (b) of sub- section (2) shall take effect from the date from when it is accepted by the Executive Board and ratified by the Committee.

18. Any office bearer or other member of the Executive Board or any member of the Committee may, if he chooses to do so, draw such fees and allowances for attending the meetings of the Executive Board or the Committee and for attending to any other work of the Executive Board or the Committee, as the case may be, as may be prescribed.

Fees and allowances of members.

19. (1) The annual general meeting of the Committee shall be held every year on the date to be notified to the members by the Board.

Meetings of the Committee and the Executive Board.

(2) The Executive Board shall meet at least once in every month or at such intervals, as may be prescribed.

(3) The President or in his absence, the Senior Vice President and in the absence of both, the Junior Vice President and in the absence of all the three, any other member elected from amongst themselves shall preside over at any meeting of the Committee or of the Executive Board:

Provided that quorum for the purpose of convening of the meeting of the Committee or the Executive Board shall be at least two-third of the total strength of the members of the Committee or the Board, as the case may be, inclusive of elected and co-opted members.

(4) The Committee or the Executive Board shall observe such rules of procedure with regard to transaction of the business of the Board or the Committee at its meetings, as may be prescribed.

(5) Save as otherwise provided, all questions which come up before any meeting of the Committee shall be decided by a majority of vote of the members present and voting and in the event of equivalence of votes, the person presiding shall have a right to casting or second vote.

(6) All the proceedings of the meetings of the Committee or the Executive Board shall be recorded preferably in Gurmukhi script or the language best known to the majority of the members.

Formation of
sub-committees.

20. (1) The Executive Board may constitute such number of sub-committees from amongst the members of the Committee or Board, as it thinks fit and for such purpose, as may be prescribed.

(2) A sub-committee constituted under sub-section (1) shall meet at such time and places and shall observe such rules of procedure with regard to the transaction of business at its meetings, as may be prescribed.

(3) A member of a sub-committee may, if he so chooses, draw such fees and allowances for attending its meetings and for attending to any other work of the sub-committee, as may be prescribed.

Powers of the
Executive Board
and its office-
bearers.

21. (1) The Executive Board shall exercise on behalf of the Committee all powers conferred on the Committee by the provisions of this Act which are not expressly reserved to be exercised by the Committee in its general meeting.

(2) The President or any other office-bearer of the Executive Board may exercise such powers and perform such duties, as may be prescribed or as may, from time to time, be delegated by the Executive Board.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (2), the President may, on his own motion or otherwise, call for the record of any case, revise any order passed by any authority to whom such powers have been delegated by the Executive Board and can also —

- (i) confirm, modify or set aside the order,
- (ii) impose any penalty or set aside, reduce, confirm or enhance the penalty imposed upon any employee of the Committee or the Executive Board, as the case may be,
- (iii) remit the case to the authority which made the order or to any other authority directing such further action or

inquiry as considered proper in the circumstances of the case, or (iv) pass such other orders as he deems fit.

(4) No order passed by the President under sub-section (3) shall be enforced unless and until it is confirmed by the Executive Board with simple majority.

22. No act or proceeding of the Committee or the Executive Board or any sub-committee shall be invalidated by reason only of defect in formation of the Committee, Board or sub-committees, as the case may be, by any person owing to any reason whatsoever.

Validity of acts of Committee, Executive Board or sub-committees.

23. (1) The Committee may appoint such number of officers and other employees, as it considers necessary, for the efficient performance of its functions and duties, and may, from time to time, determine the number, designations, grades and scales of pay or other remuneration of the officers and other employees and may at any time reduce, suspend, remove or dismiss or impose any other penalty on any officer or any other employee for dereliction of duty, unfitness, neglect or negligence of duty or any other misconduct.

Officers and other employees of the Committee.

(2) The officers and other employees appointed under sub-section (1) shall exercise such powers and perform such duties, as may be prescribed or as may, from time to time, be delegated by the Committee.

(3) The terms and conditions of service of the officers and other employees shall be subject to such terms and conditions, as may be prescribed :

Provided that all employees working presently under the Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee or any local management of the Gurdwaras from the date of commencement of this Act shall be deemed to be under the employment of the new management/committee or the Executive Board or the local management of the Gurdwara:

Provided further that the service conditions of the existing employees shall be governed by the rules as applicable to them at the time of commencement of this Act, till the rules and regulations are framed under this Act.

CHAPTER-III

POWERS AND FUNCTIONS OF THE COMMITTEE

24. Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the control, direction and general superintendence over all the Gurdwaras and Gurdwara property within the State of Haryana shall vest in the Committee, and it shall be the duty of the Committee —

Powers and functions of the Committee.

(i) to arrange for the proper performance of the religious rites and rituals and ceremonies in the Gurdwaras;

(ii) to provide facilities for worship by the devotees at the Gurdwaras;

-
- (iii) to ensure safe custody of its funds, movable and immovable properties, deposits, offerings either in cash or in kind and proper utilization of funds, in the manner, as may be prescribed;
 - (iv) to do all such things or functions as may be incidental and conducive to the efficient management of the affairs of the Gurdwaras, educational and other institutions under the Committee and other properties;
 - (v) to provide suitable accommodation and facilities for pilgrimage to devotees;
 - (vi) to maintain free langars to the visiting devotees;
 - (vii) to manage the historical and other Gurdwaras, educational and other institutions and their properties in such a way so as to promote Sikh tradition, culture, heritage and eligion;
 - (viii) to ensure the maintenance of order, discipline and proper hygienic conditions in Gurdwaras, educational and other institutions under its management;
 - (ix) to open free dispensaries for medical check up and proper assistance to the visiting devotees;
 - (x) to spread education, culture and Sikh heritage, especially the knowledge of the *Punjabi* in *Gurmukhi* script;
 - (xi) to establish educational, engineering, medical, Information and Technology institutions, research centres and Libraries;
 - (xii) to render sufficient financial assistance to religious and educational institutions, societies and also to arrange for financial assistance to needy persons in harness;
 - (xiii) to arrange stipends to poor, needy and deserving students studying in the schools or institutions managed by the Committee;
 - (xiv) to render help in the case of upliftment of the Sikh Community and propagation of Sikh religion, tenets, rites and rituals as per Sikh "Maryada";
 - (xv) to arrange for the pilgrimage of the Sikh devotees belonging to the State of Haryana to places of worship and Sikh Gurdwaras in Pakistan or other parts of the world in consultation with the State or the Central Government, as the case may be;
 - (xvi) to entertain and perform such other functions and to do such religious or charitable acts, as may be prescribed for carrying out the ideals and high traditions of Sikhism for achieving the ends for the purposes of this Act.

CHAPTER-IV:

GURDWARA FUND, ACCOUNT AND AUDIT

25. (1) There shall be a Gurdwara Fund and all receipts and income of the Gurdwaras and of the Gurdwara properties (including all amounts comprised for the time being in Gurdwara property) shall be credited to the account of Gurdwara Fund in a properly maintained bank account as per rules.

Gurdwara Fund..

(2) The Gurdwara Fund shall be held by the Committee in trust for the purposes of this Act and rules made thereunder, subject to the provisions contained therein and shall not be utilized for any other purposes than the one authorized by this Act or the rules or regulations made under this Act.

(3) All expenses or expenditure incurred or payments or disbursements to be made by the Committee in the discharge of its functions under this Act shall be made from the Gurdwara Fund in the manner, as may be prescribed.

26. Nothing contained in this Act shall, or shall be deemed to, authorize the Committee to contribute any amount or amounts—

Prohibition regarding making of Contributions for political purposes.

- (a) to any political party, or
- (b) for the benefit of any political party, or
- (c) for any political purpose to any individual or Body.

27. (1) In respect of every financial year, budget (annual financial statement) of the estimated receipts and expenditure of the Committee for the relevant year shall be placed before the Committee and duly passed by the General House of the said Committee.

Budget.

(2) No money out of the Gurdwara Funds shall be appropriated except as provided in the manner prescribed under this Act and rules made thereunder without proper approval of the Committee.

28. (1) The Committee shall maintain proper accounts showing an account of receipt and expenditure out of the Gurdwara Fund and proper cash book and ledger for the daily accounts shall be maintained in the manner, as may be prescribed.

Maintenance of accounts.

(2) At the end of each calendar month, a statement of account of income and expenditure relating to the corresponding month shall be prepared before the 10th day of ensuing month and placed before the Committee and it shall be pasted at conspicuous places outside all Gurdwaras on the notice board and a consolidated annual statement showing income and expenditure account relating to a particular financial year shall likewise be prepared and placed before the Committee for its approval before the General House and be also displayed outside the Gurdwaras at the end of each and every financial year :

Provided that a copy of the statement of accounts for every month as well as at the end of the financial year shall be dispatched to all members of the Committee and any of the members of the Committee may point out discrepancies, if any, in the statement of the accounts within a period of fifteen days from the receipt of such copy and such objections shall be subject to audit as per the manner prescribed under the rules :

Provided further that in case some discrepancies are pointed out during the audit, the discrepancies shall be rectified by the House before the same being re-submitted for accounts in a specially convened meeting with a clear notice of fifteen days for the said purpose.

Audit of
accounts.

29. (1) The accounts of the Committee including those of the Gurdwaras, and Gurdwara property including educational and other charitable institutions administered by the Committee, shall be audited by one or more auditors duly qualified to act as auditor under sub-section (1) of section 226 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), (hereinafter referred to as the auditor), who shall be appointed by the Committee within sixty days prior to the close of every financial year and shall receive such remuneration as the Committee may prescribe.

(2) For the purpose of any such audit and examination of accounts the auditors may, by a demand in writing, require from the Committee or any office-bearer or member or employee of the Committee or any Gurdwara, educational or other institution of the Committee, the production before him of all books, deeds, vouchers and all other documents and papers which he deems necessary, and may require any person holding or accountable for any such books, deeds, vouchers, documents and papers to appear before him at any audit and examination, to answer all questions which may be put to him with respect to the same or to prepare and submit any further statement which such auditor may consider necessary.

(3) Within thirty days after the audit and examination have been completed, the auditor shall submit a report to the Committee upon each account audited and examined.

(4) The audit report shall be published in, at least, two daily papers of Haryana (one in English and one in Punjabi) as well as in Gurdwara Journal, if any, within thirty days of its receipt.

(5) The report of the auditor shall, among other matters, specify all items of expenditure which in his opinion are illegal, irregular or improper, all cases of failure or recoveries of money or property due to the Committee, all instances of loss or wasteful expenditure of money or property due to negligence or misconduct and all instances in which any money or property has been diverted to any other purpose not authorized by this Act or rules or regulations made under this Act.

30. The Committee, in meeting next following' the date of receipt of the auditor's report, shall consider such report and satisfy itself that no expenditure shown therein has been incurred otherwise than in accordance with the provisions of this Act and shall pass such orders as are, in its opinion, necessary and proper to rectify the illegal, unauthorized or improper expenditure and may also pass such further orders upon the report, as it may deem fit and proper :

Consideration of the auditor's report by the Committee.

Provided that if the next meeting falls on a day earlier than two months after the receipt of the report it may be considered in the meeting next following which shall be convened before the expiry of a period of three months from the date of receipt of the said report.

CHAPTER-V

SETTLEMENT OF ELECTIONS AND OTHER DISPUTES

31. In case of any dispute with regard to Elections of the members of the Committee, the Commissioner Gurdwara Elections or his nominee, appointed in consultation with the Government, shall hear, adjudicate upon and dispose of in accordance with law, all the election petitions, in the manner, as may be prescribed or adopted as a procedure to be devised by the Commissioner Gurdwara Elections, as he deems it necessary and the decision taken on any election dispute or election complaint shall be final:

Disputes with regard to elections.

Provided that no Civil Court shall have jurisdiction to entertain, hear and try any election petition, election dispute or any complaint relating to Gurdwara Elections and jurisdiction of any such Court shall be barred, except the election offences under this Chapter.

32. (1) No person shall convene, hold or attend any public meeting within any constituency on the, date or dates on which a poll is taken for an election in that constituency.

Prohibition of public meetings on the Election day.

(2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees.

33. (1) Any person who at a public meeting to which this section applies, acts, or incites others to act, in a disorderly manner for the purposes of preventing the transaction of the business for which the meeting was called, shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees.

Disturbances at election meetings.

(2) This section applies to any public meeting of a political character held in any constituency between the date of the issue of a notice under the Executive Board or Committee Election Rules framed under this Act calling upon the constituency to elect a member or members and the date on which such election is held.

34. (1) Every officer, clerk, agent or other person who performs any duty in connection with the recording or counting of votes at an election shall maintain, and aid in maintaining, the secrecy of the voting and shall not (except for some purpose authorized by or under any law) communicate to any person any information violating such secrecy.

Maintenance of secrecy of voting.

(2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine extendable to five thousand or with both.

Officers, etc. at elections not to act for candidates or to influence voting.

35. (1) No person who is a Returning Officer or a presiding or polling officer at an election, or an officer or clerk appointed by the Returning Officer or the presiding officer to perform any duty in connection with an election shall in the conduct or the management of the election do any act (other than the casting of vote) for the furtherance of the prospects of the election of a candidate.

(2) No such person as aforesaid, and no member of a police force, shall endeavour:—

- (a) to persuade any person to cast his vote at an election; or
- (b) to dissuade any person from casting his vote at an election; or
- (c) to influence the voting of any person at an election in any manner.

(3) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) or sub-section (2) shall be punishable with imprisonment which may extend to six months or with fine or with both.

Prohibition of canvassing in or near polling stations.

36. (1) No person shall, on the date or dates on which a poll is taken at any polling station, commit any of the following acts within the polling station or in any public or private place within a distance of one hundred yards of the polling station, namely :—

- (a) canvassing for votes; or
- (b) soliciting the vote of any elector;
- (c) persuading any elector not to vote for any particular candidate; or
- (d) persuading any elector not to vote at the election; or
- (e) exhibiting any notice or sign (other than an official notice) relating to the election.

(2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punishable with fine, which may extend to five thousand rupees.

Penalty for disorderly conduct in or near polling station.

37. (1) No person shall, on the date or dates on which a poll is taken at any polling station, —

- (a) use or operate within or at the entrance of the polling station, or in any public or private place in the neighbourhood thereof, any apparatus for amplifying or reproducing the human voice, such as a megaphone or a loudspeaker, or

(b) shout, or otherwise act in a disorderly manner, within or at the entrance of the polling station or in any public or private place in the neighbourhood thereof so as to cause annoyance to any person visiting the polling station or the poll, or so as to interfere with the work of the officers and other persons on duty at the polling station.

(2) Any person who contravenes, or wilfully aids or abets the contravention of the provisions of sub-section (1) shall be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine upto rupees five thousand or with both.

(3) If the presiding officer of a polling station has reasons to believe that any person is committing or has committed an offence punishable under this section, he may direct any police officer to arrest such person and thereupon the police officer shall arrest him.

(4) Any police officer may take such steps and use such force, as may be reasonably necessary for preventing any contravention of the provisions of sub-section (1), and may seize any apparatus used for such contravention.

38. (1) Any person who during the hours fixed for the poll at any polling station misconducts himself or fails to obey the lawful directions of the presiding officer may be removed from the polling station by the presiding officer or by any police officer on duty or by any person authorized in this behalf by such presiding officer.

Penalty for misconduct at the polling station.

(2) The powers conferred by sub-section (1) shall not be exercised so as to prevent any elector who is otherwise entitled to vote at a polling station from having an opportunity of voting at the election.

(3) If any person who has been so removed from a polling station re-enters the polling station without the permission of the presiding officer, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine upto rupees five thousand or with both.

39. If any person is guilty of such corrupt practice in respect of illegal hiring or procuring of conveyances at or in connection with an election, he shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees.

Penalty for illegal hiring or procuring of conveyances at elections.

40. (1) If any person to whom this section applies is without reasonable cause guilty of any act or omission in breach of his official duty, he shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees.

Breaches of official duty in connection with elections.

(2) No suit or other legal proceedings shall lie against any such person for damages in respect of any such act or omission as aforesaid in furtherance of discharge of his official duties.

(3) The persons to whom this section applies are the Deputy Commissioner, Returning Officer, presiding officers, polling officers and any other person appointed to perform any duty in connection with the preparation of an electoral roll, the receipt of nominations or withdrawal of candidatures, or the recording or counting of votes at an election; and the expression "official duty" shall for the purposes of this section be construed accordingly, but shall not include duties imposed otherwise than by or under the Executive Board or Committee Election Rules framed under this Act.

Removal of ballot papers from polling station to be an offence.

41. (1) Any person who at any election fraudulently takes, or attempts to take, a ballot paper out of a polling station, or wilfully aids or abets the doing of any such act, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to five thousand rupees or with both.

(2) If the presiding officer of a polling station has reasons to believe that any person is committing or has committed an offence punishable under subsection (1), such officer may, before such person leaves the polling station, arrest or direct a police officer to arrest such person and may search such person or cause him to be searched by a police officer:

Provided that when it is necessary to cause a woman to be searched, the search shall be made by another woman with strict regard to decency.

(3) Any ballot-paper found upon the person of a person arrested on search shall be made over for safe custody to a police officer by the presiding officer, or when the search is made by a police officer, shall be kept by such officer in a safe custody.

Other offences and penalties.

42. (1) Any person shall be guilty of an electoral offence if at any election he —

- (a) fraudulently defaces or fraudulently destroys any nomination paper; or
- (b) fraudulently defaces, destroys or removes any list, notice or other document affixed by or under the authority of a Returning Officer; or
- (c) fraudulently defaces or fraudulently destroys any ballot-paper or the official mark, if any, on any ballot-paper or any declaration of identity- or official envelope used in connection with voting by special ballot-paper; or
- (d) without due authority supplies any ballot-paper to any person; or
- (e) fraudulently puts into any ballot-box anything other than the ballot-paper which he is authorized by law to put in; or

- (f) without due authority destroys, takes, opens or otherwise interferes with any ballot-box or ballot-paper then in use for the purposes of the election; or
- (g) fraudulently or without due authority, as the case may be, attempts to do any of the foregoing acts or wilfully aids or abets the doing of any such acts.

(2) Any person guilty of an electoral offence under this section shall —

- (a) if he is a Returning Officer or a presiding officer at a polling station or any other officer or clerk employed on official duty in connection with the election, he punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both;
- (b) if he is any other person, he punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both;

(3) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be on official duty if his duty is to take part in the conduct of an election or part of an election including the counting of votes or to be responsible after an election for the custody of used ballot-papers, and other documents in connection with such election.

43. (1) If the Elections Commissioner has reason to believe that any offence punishable under section 35 or under section 40, or under clause (a) of section 42 has been committed in reference to any election, it shall be the duty of the Gurdwara Elections Commissioner to cause such enquiries to be made and such prosecutions to be instituted as the circumstances of the case warrant him to require.

Prosecution regarding certain offences.

(2) No Court shall take cognizance of any offence punishable under section 35 or under section 40 or under clause (a) of sub-section (2) of section 42, unless there is a complaint made by order of, or under authority from the Commissioner, Gurdwara Elections.

44. A special court notified by the State Government in consultation with the High Court of Punjab and Haryana shall have jurisdiction in the respect of the following matters, namely—

Jurisdiction of Courts in other matters.

- (a) any petition involving a question of dispute wherein any person is a Sikh or is not a Sikh for the purpose of registration as a voter or contesting election as a member or co-option as member of the Committee;
- (b) a petition involving a question whether for the purpose of election as member of the Committee a person is qualified or disqualified.

- (c) petitions arising out of any type of disputes between the Committee and its employees including former employees.

Appeals.

45. (1) Any person aggrieved by an order passed by the Special court as notified by the State Government, in consultation with the High Court of Punjab and Haryana, may, within ninety days of the order, prefer an appeal to the High Court of Punjab and Haryana at Chandigarh and the orders of the High Court on such appeal shall be final.

(2) The provisions of sections 5 and 12 of the Limitation Act, 1963 (36 of 1963), so far as may be, shall apply to appeals under this section.

CHAPTER-VI

HARYANA SIKH GURDWARA JUDICIAL COMMISSION

Judicial
Commission
and its functions.

46. (1) There shall be constituted a Haryana Sikh Gurdwara Judicial Commission which shall consist of three members who shall be Sikhs as defined under this Act, appointed from time to time, as may be necessary by the State Government, by notification in the Official Gazette with the following qualifications —

- (i) is or at the time of his retirement or resignation from the Government service was a District Judge not having less than ten years standing as such on his superannuation;
- (ii) is an Advocate having not less than ten years standing at bar either at the District Headquarters or in the High Court;
- (iii) is a person who is either working or retired and has been a Government Pleader in the High Court or in the District Courts and has a standing of not less than ten years to his credit at the time of his appointment as the member, or Chairman of the Commission.
- (iv) The Chairman shall be District Judge if so appointed and if District Judge is not appointed then one of the three selected members of the Commission shall be the Chairman in the order of their seniority either in service or at bar, as the case may be, and the term of the Chairman or the member shall be five years or the age of 65 years whichever is earlier:

Provided that terms and conditions of appointment of the Chairman and members of the Commission shall be determined by the State Government in consultation with the Gurdwara Management Committee in the prescribed manner. The terms and conditions of appointment, salary, allowance etc. will be fixed by the Government in consultation with the Gurdwara Management Committee and the expenditure of the said purpose or any incidental charges including recruitment of helping staff and maintenance of the office shall be defrayed from the Haryana Government Treasury :

Provided further that Sikh Gurdwara Judicial Commissions shall be a body corporate and shall work independently of the Commissioner Gurdwara Elections, Haryana Government or the Haryana Sikh Gurdwara Management Committee or the Executive Board, as the case may be:

Provided further that any decision taken by the Sikh Gurdwara Judicial Commission shall be final.

(2) The Commission shall adjudicate upon the disputes relating to Gurdwara property, movable or immovable including the Gurdwara fund and other incidental disputes *inter se* between the Gurdwara Committee, Executive Board or *inter se* between various Gurdwara and private individuals, or any other institutions or any other juristic persons.

CHAPTER-VII

MISCELLANEOUS

47. (1) A registered Singh Sabha may, in relation to any local Gurdwara under its control, decide by a resolution adopted by three-fourth majority of its total membership for affiliating that local Gurdwara to the Committee and if the Committee consents thereto, the said local Gurdwara shall be deemed to be affiliated to the Committee.

Procedure for affiliation of local Gurdwaras.

(2) All assets and liabilities of the local Gurdwara so affiliated and of the registered Singh Sabha shall thereafter vest in the Committee.

48. Nothing contained in this Act or any other law for the time being in force shall —

Act not to affect rites and practices of sikh religion.

(a) save as otherwise expressly provided in this Act or the rules or regulations made thereunder, affect any honour, emolument or perquisite to which any person is entitled by custom or otherwise in any Gurdwara;

(b) authorize any interference with the religious or spiritual functions performed in any Gurdwara.

49. Every member of the Committee, the Executive Board, or any sub-committee, the Commissioner Gurdwara Elections and every other officer and employee of the Committee shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

Member, officers and other employees to be public servants.

50. Salary etc. of the Commissioner Gurdwara Elections including Special Commissioner Gurdwara Elections, Joint Commissioner Gurdwara Elections or Deputy Commissioner Gurdwara Elections including the Chairman and members of the Judicial Commission and the allied staff shall be charged from the Haryana Government Treasury:

Salary.

Provided that all expenditure for conducting elections of the Haryana Sikh Gurdwara Management Committee, Executive Board or all incidental charges

concerned with the elections by the Commission shall be defrayed out of the Haryana Government Treasury.

Protection of
action taken.

51. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the members of the Committee or the Executive Board or members of any sub-committee, the Commissioner Gurdwara Elections or any other office bearers or employee of the Commission or any other employee including the employees of the Commission for anything which is done in good faith or intended to be done under this Act or any rules or regulations made thereunder.

Power to make
rules.

52. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the objects and means of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for or regulate or any of the following matters, namely—

- (a) the manner in which a declaration for the purposes of clause (j) of section 2 shall be made;
- (b) the particulars to be entered in the electoral rolls;
- (c) the preliminary publication of electoral rolls;
- (d) the manner in which and the time within which claims and objections as to entries in electoral rolls may be preferred;
- (e) the manner in which notices of claims or objections shall be published;
- (f) the place, date and time at which claims or objection shall be heard and the manner in which claims or objections shall be heard and disposed of;
- (g) the final publication of electoral rolls;
- (h) the revision and correction of electoral rolls and inclusion of names therein;
- (i) the appointment of returning officers, assistant returning officers, presiding officers and polling officers for the conduct of elections;
- (j) the nomination of candidates, form of nomination papers, objections to nominations and scrutiny of nominations;
- (k) the deposits to be made by candidates, time and manner of making such deposits and the circumstances under which such deposits may be refunded to candidates or forfeited to the commissioner;
- (l) the withdrawal of candidatures;

- (m) the appointment of agents of candidates;
- (n) the procedure in contested and uncontested elections;
- (o) the date, time and place for poll and other matters relating to the conduct of elections including —
 - (i) the appointment of polling stations for each ward;
 - (ii) the hours during which the polling station shall be kept open for the casting of votes;
 - (iii) the printing and issue of ballot papers;
 - (iv) the checking of voters by reference to the electoral roll;
 - (v) the marking with indelible ink of the left forefinger or any other finger or limb of the voter and prohibition of the delivery of any ballot paper to any person if at the time such person applies for such paper he has already such mark so as to prevent personation of voters;
 - (vi) the manner in which votes are to be given and in particular in the case of illiterate voters or of voters under physical or other disability;
 - (vii) the procedure to be followed in respect of challenging votes and tendered votes;
 - (viii) the scrutiny of votes, counting of votes, the declaration of the results and the procedure in case of equality of votes or in the event of a member being elected to represent more than one ward;
 - (ix) the custody and disposal of papers relating to elections;
 - (x) the suspension of polls in case of any interruption by riot, violence or any other sufficient cause and the holding of fresh poll;
 - (xi) the holding of a fresh poll in the case of destruction of, or tampering with, ballot boxes before the count;
 - (xii) the countermanding of the poll in the case of the death of a candidate before the poll;
- (p) the fee to be paid on an election petition;
- (q) the terms and conditions of service of the Commissioner Gurdwara Elections or other office bearers;

- (r) the procedure for the election of pro tempore Chairman under sub-section (4) of section 15 and of the President and other office bearers and members of the Executive Board under section 16;
- (s) authority to impose fines;
- (t) any other matter in respect of which the Haryana Government deems it necessary to make rules under this section or in respect of which this Act makes no provision or makes insufficient provision is, in the opinion of the Haryana Government, necessary ;
- (u) the manner in which results of election or co-option of members of the Committee shall be published, or the orders made under the rules shall be widely made known by affixing copies thereof in conspicuous public places, by publishing the same by beat of drum or by advertisement in local newspapers.

(3) In making any rule under this section the Haryana Government may provide that any contravention thereof shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine or with both.

(4) All rules made under this section shall be laid, as soon as may be, after they are made, before Haryana Legislative Assembly while it is in session which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if before the expiry of the session in which they are so laid or the session immediately following, the House agree in making any modification in the rules and House agree, the rules shall, thereafter, have effect only in such modified form, as the case may be; so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under those rules.

Power of
Committee to
make regulations.

53. (1) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions of this Act or the rules made thereunder, the Committee may make regulations for carrying out its functions under this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely —

- (a) the manner and the criterion for deciding whether a candidate for election as member of the Committee is able to read and write *Gurmukhi*;
- (b) fees and allowances to which office bearers and other members of the Executive Board or other members of the Committee or of a sub-committee shall be entitled for attending meetings or any other work of the Executive Board, Committee or sub-committee respectively;

- (c) the periods of interval at which meetings of the Executive Board shall be held, the manner in which meetings of the Committee or the Executive Board or any sub-committee shall be convened, the quorum for the transaction of business and the rules of procedure to be followed for transaction of business at meetings of the Committee, the Executive Board or any sub-committee;
- (d) the manner in which a majority decision of the Executive Board shall be obtained by circulation to its office-bearers and members of any matter requiring decision, if necessary;
- (e) the matters in respect of which powers may be exercised or duties performed by the President or other office-bearers of the Executive Board or by any officer or other employee of the Committee;
- (f) the terms and conditions of service of officers and other employees of the Committee including recruitment, transfer, fixation of seniority, promotion of, and disciplinary action or punishment against such officers and other employees;
- (g) any other functions or religious or charitable acts which, in addition to those specified in section 24, may be performed or done by the Committee, and the conditions and restrictions subject to which those functions or acts shall be performed or done;
- (h) the manner in which cash or other moneys of the Gurdwara Fund shall be deposited or invested;
- (i) the form in which the budget of the Committee shall be presented;
- (j) the form in which the accounts of the Committee shall be maintained and the publication of such accounts;
- (k) the manner in which any regulations or orders made thereunder shall be published or widely made known by affixing copies thereof in conspicuous public places, by publishing the same by beat of drum or by advertisement in local newspapers;

54. (1) From the date of commencement of this Act, the provisions of Sikh Gurdwara Act, 1925 shall cease to have any application within the territory of the State of Haryana.

(2) Any rule made under the Sikh Gurdwara Act, 1925 or regulations framed by the corresponding legislation on the subject shall continue to be

Saving and over-riding effect of this Act on other laws.

operative within the territorial jurisdiction of the State of Haryana for the purposes of implementation of this Act as far as till the said rules or regulations are suitably amended or re-drafted by the Haryana Government or the Haryana Sikh Gurdwara Management Committee, as the case may be.

(3) Notwithstanding the over-riding effect of this Act within the territorial jurisdiction of the State —

- (a) any appointment, notification, order or rule made or issued under the 1925 Act shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act shall, continue in force and be deemed to have been made or issued under the provisions of this Act unless and until it is superseded by any legislation, notification, order, rule or regulations made or issued under the corresponding provisions of this Act;
- (b) all budget estimates made, all obligations and liabilities incurred, all contracts entered into and all matters and things sought to be done by, with or for the Punjab Sikh Gurdwara Board shall be deemed to have been made, incurred entered into or sought to be done by with or for the Committee under the provisions of this Act;
- (c) all Gurdwara property, movable and immovable and all interests of whatsoever nature and contained therein, belonging or due to, the Punjab Sikh Gurdwara Board, immediately before such establishment, shall, with all rights, powers and privileges of whatsoever description, used, enjoyed or possessed by the said Board, vest in the Committee and the Executive Board to be constituted under Section 16 on the commencement of this Act.
- (d) all sums of money including rents due to the Board immediately before such establishment shall be deemed to be due to the Committee;
- (e) all suits and other legal proceedings instituted or which might have been instituted by or against the Punjab Sikh Gurdwara Board may be continued or instituted by or against the Haryana Sikh Gurdwaras Management Committee;
- (f) any will, deed or other instrument which contains any bequest, gifts or trusts in favour of the Board shall from such establishment, be construed as if the Committee were therein named instead of the said Board or Trust;
- (g) provisions of Haryana Rent (Control and Eviction) Act, 1973 shall not apply to the Gurdwara immovable property

or any building managed by the Gurdwara Committee or Gurdwara Executive Board.

55. The Haryana Sikh Gurdwara Management Committee or Executive Board shall send a list of the Gurdwaras and properties under these Gurdwaras for declaration of the same either as an historical Gurdwara or a notified or local Gurdwara in the prescribed manner. The Gurdwaras and the property under the Management of such historical Gurdwaras shall form part of Schedule-I appended to this Act. Whereas the Gurdwaras and the properties where the annual income of the notified Gurdwara is more than Rs. 20 lacs shall be kept in Schedule-II appended to this Act and local Gurdwara under Schedule-III of this Act :

List of Property of scheduled Gurdwaras to be forwarded to the State Government.

Provided that any Gurdwara or immovable or movable property under the management of historical, notified or a local Gurdwara may be declared either as an historical Gurdwara, a notified or local Gurdwara, as the case may be, by a notification to be issued by the State Government or any amendment, addition or deletion may be made by the State Government to bring a Gurdwara in the list of Schedules I to III i.e. historical Gurdwara in List I, any notified Gurdwara within the list of Schedule-II and a local Gurdwara in Schedule-III in the prescribed manner by way of passing a resolution by the Management of a local Gurdwara or a notified Gurdwara for the purposes of this Act and rules or regulations made under this Act, as the case may be.

56. If any difficulty arises to give effect to the provisions of this Act or the rules or regulations made under this Act towards the implementation and compliance of the provisions of this Act, the State Government may, by an order, as the occasion requires, do anything which appears to be just, proper and necessary for the purpose of removal of the difficulty and may pass such orders, as it may deem fit.

Power to remove difficulties.

SCHEDULE - I

LIST OF THE HISTORICAL GURDWARAS IN THE STATE OF HARYANA

As notified under Section 85 of the Sikh Gurdwaras Act, 1925:

District Ambala.

1. Gurdwara Sri Manji Sahib, Ambala City
2. Gurdwara Sri Panjokhra Sahib, Patshahi 8th (Ambala)

District Jind.

3. Gurdwara Sri Guru Teg Bahadur Sahib, Jind
4. Gurdwara Sri Guru Teg Bahadur Sahib, Dhamtan Sahib (Jind)

District Kurukshetra.

5. Gurdwara Sahib Patshahi 6th, Kurukshetra

District Panchkula

6. Gurdwara Sri Nada Sahib, Patshahi 10th, Panchkula

District Yamuna Nagar

7. Gurdwara Guru Gobind Sahib, Kapal Mochan, Tehsil Jagadhri

District Kaithal

8. Gurdwara Chhathi Patshahi and Nauvi Patshahi, Cheeka.

SCHEDULE-II

**LIST OF THE NOTIFIED GURDWARAS IN THE STATE OF HARYANA
HAVING ANNUAL INCOME MORE THAN TWENTY LACS**

As notified under section 87(1)(a) of the Sikh Gurdwaras Act, 1925:

Sr. No.	District	Tehsil	Revenue	Name of Gurdwara
1.	Sirsa	Dabwali	Kewal	Kewal
2.	Ambala	Ambala	Bhano Kheri	Gurdwara Gobind Singh Sahib
3.	Ambala	Ambala	Sular	Sular
4.	Ambala	Ambala	Channi	Gurdwara Channi
5.	Ambala	Naraingarh	Raipur	Ranike Raipur and Manak Tabra
6.	Ambala	Ambala	Tharwa	Dasvin Patshahi
7.	Ambala	Kalka	Manak Tabra	Dasvin Patshahi Maruf Guruana
8.	Yamuna Nagar	Jagadhri	Bilaspur	Bilaspur Gurdwara
9.	Yamuna Nagar	Jagadhri	Balachur	Agampura
10.	Yamuna Nagar	Jagadhri	Jagadhauli	Gurdwara Guru Granth Sahib
11.	Kurukshetra	Thanesar	Bama	Gurdwara Navin Patshahi
12.	Kurukshetra	Thanesar	Yara	Gurdwara Yara
13.	Kurukshetra	Thanesar	Bakali	Dharamsala
14.	Kurukshetra	Thanesar	Thanesar	Dharamsala Khaisa
15.	Kurukshetra	Thanesar	Dhoge	Gurdwara Dayoddni Sahib Navin Patshahi
16.	Mohindergarh	Mohindergarh	Mohindergarh	Gurdwara Sahib Patshahi Naumi (Bhore Sahib)
17.	Mohindergarh	Narnaul	Narnaul City	Gurdwara Sahib Patshahi Naumi

SCHEDULE-III

LIST OF THE LOCAL GURDWARAS IN THE STATE OF HARYANA
HAVING ANNUAL INCOME LESS THAN TWENTY LACS

As notified under section 87(1)(b) of the Sikh Gurdwaras Act. 1925:

Sr. No.	District	Tehsil	Revenue	Name of Gurdwara
Sirsa				
1.	201	Sirsa	Sirsa	Gurdwara Guru Gobind Singh
2.	202	Dabwali	Dabwali	Guru Asthan Dabwali
Fatehabad				
3.	204	Ratia	Ratia	Ratia
Rohtak				
4.	205	Rohtak	Rohtak	Gurdwara Bangla Sahib
5.	206	Meham	Lakhan Majra	Manji Sahib
Karnal				
6.	207	Karnal	Karnal	Manji Sahib
7.	Unscheduled	Nilokheri	Taraori	Gurdwara Navin Patshahi
8.	(1)Unscheduled	Indri	Gudha	Gurdwara Gudha
9.	(2)Unscheduled	Indri	Gorgarh	Dera Andria
Ambala				
10.	221	Ambala	Mardon	Mardon
11.	Unscheduled	Ambala	Lakhnaur Sahib	Lakhnaur Sahib
Kurukshetra				
12.	(i)Unscheduled	Pehowa	Pehowa	Gurdwara Navin Patshahi, Dasvin Patshahi
13.	(ii) Unscheduled	Pehowa	Siyana Sayada	Gurdwara, Dasvin Patshahi
14.	(iii)Unscheduled	Pehowa	Karah	Gurdwara Tarbiani Sahib
15.	(i) Unscheduled	Shahbad	Shahbad	Dilli Darwaja Janib Gharbi
16.	(ii)Unscheduled	Shahbad	Shahbad	Gurdwara Mohalla Majri Janib Shamli
17.	(iii) Unscheduled	Thanesar	Ajrana Kalan	Gurdwara Naumi Patshahi
18.	(iv)Unscheduled	Shahbad	Shahbad	Gurdwara Mastgarh
19.	(v)Unscheduled	Shahbad	Shahbad	Gurdwara Darwaja Shamalik Janib Garbi
20.	(vi)Unscheduled	Shahbad	Shahbad	Dharamsala Sri Guru Granth Sahib
Yamuna Nagar				
21.	Unscheduled	Jagadhri	Jhinwar Heri	Navin Patshahi
22.	228	Jagadhri	Jagadhri	Gurdwara Jagadhari (Hanuman Gate)
23.	230	Jagadhri	Sudhal	Sudhal
24.	Unscheduled	Jagadhri	Jagadhri	Gurdwara Kapal Mochan
Kaithal				
25.	(i) Unscheduled	Kaithal	Kaithal	Gurdwara Wadda Navin Patshahi, Patti Kaith Seth
26.	(ii)Unscheduled	Kaithal	Kaithal	Gurdwara Manji Sahib known as Thandar Sahib Patti Dogran
27.	Unscheduled	Guhla	Garhi Najeer	Gurdwara Navin Patshahi

THE SCHEDULE - IV

[See section 15(3)]

Form of Oath

I, _____ Son/daughter/wife of
Sh./Smt. _____, resident of _____
having been elected or (co-opted) as a member of the Haryana Sikh Gurdwaras
Management Committee from Halqa _____ do swear in the name of Sri Guru
Granth Sahib that I shall faithfully, honestly and conscientiously discharge the
duties cast upon me, which I am about to enter in the best interest of the Sikh
religion.

PLACE

DECLARANT

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The present Haryana Sikh Gurdwaras (Management) Bill, 2014 is an earnest effort to provide a legal procedure by which such Gurdwaras owing to their origin and habitual use, regarded by the Haryana Sikhs as essentially pious places of worship, may be brought effectively and permanently under the exclusive control of the Sikhs of Haryana for their proper usage, administration, control, financial management reforms to make it consistent with the religious views of the said community. Presently, the Sikh Gurdwaras are being governed by the provisions of the Sikh Gurdwaras Act, 1925 and the rules and regulations made thereunder. However, there has been a simmering discontentment in the minds of the Sikhs of Haryana that they are being discriminated, discarded and not given due importance with regard to the affairs of the Sikh Gurdwaras in Haryana and SGPC is managing the affairs of the Haryana Gurdwaras from its Headquarters at Amritsar and the Gurdwara Funds are being utilized to the detriment of the Haryana Sikhs other than the purposes for maintenance of Sikh Gurdwaras, institutions or other social organizations by the SGPC in view of their own whims and the Haryana Sikhs are not even being consulted before the use of Gurdwara Funds collected by them through donations amongst themselves. There have been many representations from various Sikh bodies and individuals from Haryana for constitutions of a separate Sikh Gurdwaras Parbandhak Committee for State of Haryana owing to the apparent discrimination meted out to Sikh community of Haryana in participating and effectively managing their religious affairs including management of Sikh Gurudwaras situated within territorial jurisdiction of State of Haryana besides considerable grievance for non-transparent and proper utilisation of funds of Gurudwaras.

State of Haryana has constituted two successive committees under the Chairmanship of Shri H.S. Chatha and Shri Randeep Singh Surjewala, Cabinet Minister who have submitted their reports qua the justification, feasibility and desirability for formation of a separate Haryana Sikh Gurudwaras Management Committee by enacting a separate legislation. Surjewala Committee, after examining the Constitutional and legal processes, has made the recommendation to bring a draft Bill for consideration of Haryana Vidhan Sabha for exercising power under Article 246 read with Schedule VII, List II, Entry 32 of Constitution of India as also in pursuance of Section 72 of the Punjab Reorganization Act, 1966 read with all other enabling provisions which confer powers on the State Assembly to pass the Bill.

BHUPINDER SINGH HOODA,
Chief Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh :
The 11th July, 2014.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

As per Section 50 of the Haryana Sikh Gurdwara (Management) Act, 2014, there is a provision of creation of Gurdwara Election Commission. The expenses of the establishment of the Commission and its officers as well as the expenditure on the conduct of election shall be charged from the Haryana Government Treasury.

2. - As per Section 46 of The Haryana Sikh Gurdwara (Management) Act, 2014, there is a provision of Haryana Sikh Gurdwara Judicial Commission. The expenditure of this Judicial Commission shall be defrayed from the Haryana Government Treasury.

**MEMORANDUM REGARDING
DELEGATED LEGISLATION**

Clause 52 of the proposed bill empowers State Government to frame for carrying out the purposes of the Act. This delegation of powers to the Executive is of normal character. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2014 का विधेयक संख्या 28-एच.एल.ए.

हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबन्धक) विधेयक, 2014
हरियाणा राज्य में सिख गुरुद्वारों और गुरुद्वारा
सम्पत्तियों के बेहतर स्वायत्त प्रबन्धन और
प्रभावी पर्यवेक्षण और उससे सम्बन्धित
मामलों हेतु उपबन्ध
करने के लिए
विशेषक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबन्धक) अधिनियम, 2014, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में होगा।
 - (3) यह ऐसी तिथि का प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।
- (क) "नियत दिन" से अभिप्राय है, तिथि जिसको यह अधिनियम प्रवृत्त होगा;
 - (ख) "समिति" से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति ;
 - (ग) "राज्य" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की राजनैतिक तथा भौगोलिक सीमाओं के भीतर क्षेत्रीय अधिकारिता ;
 - (घ) "गुरुद्वारा निर्वाचन आयुक्त" से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 13 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया गुरुद्वारा निर्वाचन आयुक्त और इसमें गुरुद्वारा निर्वाचन विशेष आयुक्त, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त या उपायुक्त भी शामिल हैं जैसा सरकार समय-समय पर नियुक्त करे ;

(ड) "गुरुद्वारा" से अभिप्राय है, राज्य में स्थित ऐसे सिख गुरुद्वारे जो नियत दिन से ठीक पूर्व, किसी बोर्ड, समिति या शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति द्वारा प्रबन्धित थे और विषय पर सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 या किसी अन्य तत्स्थानी विधि, यदि कोई हो, के प्रबन्धन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन शासित थे तथा इसमें ऐसे ऐतिहासिक सिख गुरुद्वारा, कोई अधिसूचित सिख गुरुद्वारा या कोई स्थानीय गुरुद्वारा भी शामिल है।

व्याख्या 1 : किसी ऐतिहासिक गुरुद्वारा से अभिप्राय है, कोई गुरुद्वारा जो दस सिख गुरुओं में किसी एक से कुछ इतिहास संबंध रखता है और अनुसूची 1 में यथा वर्णित है।

व्याख्या 2 : अधिसूचित गुरुद्वारा से अभिप्राय है, जहां किसी गुरुद्वारे की वार्षिक आय बीस लाख रुपए से अधिक है और अनुसूची 1 में यथा वर्णित है।

(च) "गुरुद्वारा सम्पत्ति" से अभिप्राय है,—

(i) किसी गुरुद्वारे या किसी संस्था की सभी चल और अचल सम्पत्ति, जो नियत दिन से ठीक पूर्व किसी बोर्ड, न्यास, समिति, गुरुद्वारा प्रबन्धन में निहित या उसके नाम में जमा थी या सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन विनियमित थी ;

(ii) किसी समिति, बोर्ड या न्यास द्वारा प्रबन्धित या नियंत्रित या नियत दिन से ठीक पूर्व सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 के अधीन विनियमित विभिन्न गुरुद्वारों या संस्था को नकद या किसी वस्तु रूप में प्राप्त सभी चढ़ावा ;

(iii) नकद या वस्तु रूप में सभी चल और अचल सम्पत्ति जो समय-समय पर गुरुद्वारा प्रबन्धन या समिति या न्यास या बोर्ड के अधीन अर्जित, क्रय, विनिमय या अन्यथा रखी जाए ;

(iv) सभी अनुदान, संदान अभिदाय या चढ़ावा जो समय-समय पर किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) या प्राधिकारी या गुरुद्वारा या समिति के किसी विधिक व्यक्ति द्वारा दिए जाएं और इसमें किसी ऐसी सम्पत्ति के संबंध में कोई अनुयोज्य दावा या परकाम्य लिखित भी शामिल है;

(छ) "स्थानीय गुरुद्वारा" से अभिप्राय है, क्रमशः अनुसूची 1 और 2 में दर्शाए अनुसार किसी ऐतिहासिक गुरुद्वारा और अधिसूचित गुरुद्वारे से अन्यथा अनुसूची 3 में वर्णित हरियाणा राज्य के भीतर कोई गुरुद्वारा ;

(ज) "कार्यकारी बोर्ड" से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 16 के कोई कार्यकारी बोर्ड ;

- (झ) "अमृतधारी सिख" से अभिप्राय है, कोई सिख, जिसने सिख धर्म के सिद्धान्तों और कृत्यों के अनुसार तैयार किया गया और दिया गया खण्डे का अमृत या खण्डे का पहलु पांच प्यारों या उनमें एक परमप्रिय के हाथ से छका है;
- (ञ) "सिख" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो सिख धर्म को मानता है, केवल श्री गुरु ग्रन्थ साहिब तथा दस गुरुओं के उपदेशों में विश्वास रखता है तथा उसका अनुसरण करता है और बिना कटे बाल रखता है। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति सिख है या नहीं, तो उसके निम्नलिखित घोषणा द्वारा विहित रीति में करने अथवा करने से इन्कार करने के अनुसार क्रमशः यह समझा जाएगा कि वह सिख है अथवा नहीं है,—

"मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं केशधारी सिख हूँ, मैं केवल श्री गुरु ग्रन्थ साहिब तथा दस गुरुओं के उपदेशों में विश्वास रखता हूँ और उसका अनुसरण करता हूँ और मेरा कोई अन्य धर्म नहीं है।";

- (ट) "सहजधारी सिख" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो सिख धार्मिक कृत्यों के अनुसार अनुष्ठान करता हो, तम्बाकू या कुठा (हलाल गोश्त) का प्रयोग नहीं करता हो, और जो मूलमंत्र का पाठ कर सकता हो ;
- (ठ) "पतित" से अभिप्राय है, कोई केशधारी सिख जो अपनी दाढ़ी या केश कतरता या मूंडता है या जो अमृत छकने के पश्चात् चार में से कोई एक या अधिक कुरहती करता है ;
- (ड) "रजिस्टर्ड सिंह सभा" से अभिप्राय है, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड ऐसी सिंह सभा जिसके प्रबन्ध या नियंत्रण में हरियाणा में कोई स्थानीय गुरुद्वारा ;
- (ढ) "विनियमों" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन समिति द्वारा बनाये गये विनियम ;
- (ण) "नियमों" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम ;
- (त) "निर्वाचक नामावली" से अभिप्राय है, गुरुद्वारा निर्वाचन आयुक्त द्वारा मतदाता की पात्रता मानदण्ड के अनुसार समय-समय पर अनुरक्षित पात्र मतदाताओं की सूची ;
- (थ) "मतदाता की पात्रता मानदण्ड" से अभिप्राय है, अमृतधारी सिख, सिख जो अठारह वर्ष की आयु का है, किन्तु पतित सिख नहीं है और दिवालिया, मानसिक रूप से मन्दबुद्धि या उन्मत्त व्यक्ति नहीं है :

परन्तु मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड किसी व्यक्ति को अमृतधारी सिख के सिवाय गुरुद्वारा चुनाव लड़ने के लिए अधिकार नहीं होगा ;

- (द) "विहित" से अभिप्राय है, नियमों या विनियमों, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा विहित ;
- (ध) "अनुसूची" से अभिप्राय है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची।

अध्याय—II

समिति

समिति का निगमन।

3. (1) ऐसी तिथि से, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, गुरुद्वारों और गुरुद्वारा सम्पत्ति के उचित प्रबन्ध और नियंत्रण के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति नामक कोई समिति स्थापित की जाएगी।

(2) समिति उपर्युक्त नाम से निगमित निकाय होगी, उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और सामान्य मुद्रा होगी और उस नाम से वह वाद लाएगी और उसके विरुद्ध वाद लाया जाएगा।

(3) समिति का अपना प्रधान कार्यालय कुरुक्षेत्र में होगा और क्षेत्रीय कार्यालय पंचकूला और जीन्द में होंगे।

समिति की संरचना।

4. समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,—

(क) चालीस सदस्य, जो उन विभिन्न वार्डों से निर्वाचित किए जाएंगे जिन में सम्पूर्ण राज्य का विभाजन इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा ;

(ख) नौ सदस्य, जो समिति के खण्ड (क) में निर्दिष्ट निर्वाचित सदस्यों द्वारा इसमें, इसके पश्चात्, दी गई रीति से सहयोजित किए जाएंगे :—

(i) दो सदस्य सिख महिलाओं में से सहयोजित किए जाएंगे;

(ii) तीन सदस्य अनुसूचित जातियों और पिछड़ी श्रेणी प्रवर्ग से सम्बन्धित व्यक्तियों से सहयोजित किए जाएंगे;

(iii) दो सदस्य सिख सिद्धान्तों का व्यापक ज्ञान रखने वाले सामान्य प्रवर्ग में से सहयोजित किए जाएंगे ;

(iv) दो सदस्य राज्य में रजिस्टर्ड "सिख सभाओं" के प्रधानों में से सहयोजित किए जाएंगे :

परन्तु सहयोजित सदस्यों को कार्यकारी बोर्ड के पदाधिकारियों और अन्य सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए मत देने का अधिकार होगा :

परन्तु यह और कि सहयोजित सदस्यों की पदावधि समिति के निर्वाचित सदस्यों से सहविस्तारी होगी ;

5. (1) इस धारा में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, समिति के सदस्य की पदावधि। पदावधि पांच वर्ष की होगी और ऐसी तिथि से प्रारम्भ होगी जिसको धारा 15 के अधीन समिति का प्रथम अधिवेशन किया जाता है।

(2) जब किसी सदस्य की मृत्यु, पद-त्याग या अन्यथा के कारण समिति में कोई रिक्ति हो जाए तो नया सदस्य, यथास्थिति, उस रीति से निर्वाचित या सहयोजित किया जाएगा जिसमें वह सदस्य निर्वाचित या सहयोजित किया गया था जिसका स्थान भरना है और प्रत्येक ऐसा सदस्य केवल तब तक पद धारण करेगा जब तक वह सदस्य, जिसके स्थान पर वह निर्वाचित या सहयोजित हुआ था, पद धारण करने का हकदार होता यदि रिक्ति न हुई होती।

(3) समिति सदस्य तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसके उत्तराधिकारी के निर्वाचन या सहयोजन की अधिसूचना धारा 12 के अधीन प्रकाशित न हो जाए।

6. (1) समिति के सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ राज्य को यथाविहित रीति वार्डों का परिसीमन में चालीस एकल सदस्यों में विभाजित किया जाएगा।

(2) गुरुद्वारा निर्वाचन आयुक्त समिति के परामर्श से, समय-समय पर, वार्डों की संख्या या राज्य क्षेत्रीय क्षेत्र में परिवर्तित या संशोधित कर सकता है।

7. (1) निर्वाचकों/मतदाताओं की फोटोग्राफ सहित निर्वाचक नामावली नियमों द्वारा यथाविहित ऐसी रीति में प्रत्येक वार्ड के लिए तैयार की जाएगी, जिसमें उस वार्ड में मतदाताओं के रूप में रजिस्टर्ड होने वाले हकदार सभी व्यक्तियों के नाम दर्ज किए जाएंगे।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्टर्ड किए जाने का हकदार नहीं होगा।

(3) कोई भी व्यक्ति एक वार्ड से अधिक की निर्वाचक नामावली में रजिस्टर्ड किए जाने का हकदार नहीं होगा।

(4) निर्वाचक नामावलियों का पंजीकरण गुरुद्वारा निर्वाचन आयुक्त द्वारा अनिवार्यतः पंजीकरणयोग्य होगा।

8. प्रत्येक व्यक्ति, जो—

निर्वाचक की
अर्हताएं।

(क) मतदाता के रूप में पंजीकरण के समय कम से कम छह मास के लिए किसी वार्ड का सामान्य रूप से निवासी रहा हो ;

(ख) कम से कम अठारह वर्ष की आयु का कोई सिख हो ;

परन्तु कोई भी व्यक्ति मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड नहीं किया, जो—

(क) पतित है या अपनी दाढ़ी या केश कतरता या मूंडता हो ;

(ख) तम्बाकू कुंठा (हलाल गोश्त) या मादक द्रव्यों का प्रयोग करता हो;

(ग) मद्यपान करता हो।

मताधिकार।

9. निर्वाचक नामावली में रजिस्टर्ड प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार होगा ;
परन्तु कोई व्यक्ति एक से अधिक वार्डों में निर्वाचन में मतदान करने का हकदार नहीं होगा।

सदस्य की अर्हताएं।

10. (1) कोई व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित या सहयोजित किए जाने के लिए अर्हित नहीं होगा, यदि—

- (क) ऐसे व्यक्ति ने पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त न की हो ;
(ख) ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक न हो ;
(ग) ऐसा व्यक्ति निर्वाचित सदस्य की दशा में यदि वह सम्बन्धित वार्ड में निर्वाचक नामावली में मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड किया हुआ न हो ;
(घ) ऐसा व्यक्ति अमृतधारी सिख न हो ;
(ङ) ऐसा व्यक्ति पतित हो अथवा अमृतधारी सिख होते हुए वह अपने केश या दाढ़ी कतरता हो या मूंडता हो ;
(च) ऐसा व्यक्ति मद्यपान करता हो या मादक द्रव्य लेता हो अथवा कुठा (हलाल गोश्त) का उपयोग करता हो ;
(छ) ऐसा व्यक्ति विकृत-चित है और सक्षम न्यायालय अथवा चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो ;
(ज) ऐसा व्यक्ति अनुन्मोचित दिवालिया हो ;
(झ) ऐसा व्यक्ति नैतिक अधमता वाले अपराध का दोषसिद्ध किया गया हो अथवा सरकार, बोर्ड, समिति या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से नैतिक अधमता के कारण पदच्युत किया गया हो ;
(ञ) ऐसा व्यक्ति किसी गुरुद्वारे का वेतनभोगी सेवक हो ;
(ट) ऐसा व्यक्ति गुरुमुखी लिपि में पंजाबी पढ़ने और लिखने में असमर्थ हो;

व्याख्या— किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह —

- (i) गुरुमुखी पढ़ सकता है यदि वह गुरुमुखी में श्री गुरुग्रन्थ साहिब का पाठ कर सकता है ; तथा
(ii) गुरुमुखी लिख सकता है यदि वह समिति में निर्वाचन के लिए नामनिर्देशन पत्र स्वयं अपने हाथ से गुरुमुखी में भरता है ;

परन्तु यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई अभ्यर्थी गुरुमुखी पढ़ और लिख सकता है या नहीं, तो उस प्रश्न का विनिश्चय ऐसी रीति में किया जाएगा जो विहित की जाए।

(2) यदि कोई व्यक्ति, यह जानते हुए कि वह सदस्य नहीं है, समिति के सदस्य के रूप में अधिवेशन में बैठता है या मतदान करता है, तो ऐसा व्यक्ति कार्यकारी बोर्ड के प्रधान द्वारा अधिरोपित की जाने वाली प्रति-दिन पांच सौ रूपए की शास्ति के लिए तब तक दायी होगा जब तक वह ऐसे रूप में बना रहता है और उक्त राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में भविष्य के लिए निरर्हित होने के अतिरिक्त, सदस्यता या निर्वाचक / मतदाता, जैसी भी स्थिति हो, वसूलीयोग्य होगी।

11. धारा 4 के खण्ड (क) के अधीन समिति के सदस्यों के निर्वाचन का संचालन, निर्वाचन। चाहे धारा 3 के अधीन समिति के आरंभिक गठन के प्रयोजनार्थ हो या समय व्यतीत हो जाने के कारण होने वाली रिक्तियों या आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए हो, इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार गुरुद्वारा निर्वाचन आयुक्त द्वारा किया जाएगा :

परन्तु इस धारा के अधीन आम निर्वाचन करवाए जाने के पूर्व छह मास के भीतर ऐसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए कोई भी निर्वाचन नहीं करवाया जाएगा।

12. (1) समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित सभी व्यक्तियों के नाम यथाविहित परिणामों का प्रकाशन। रीति में गुरुद्वारा निर्वाचन आयुक्त द्वारा ऐसे निर्वाचन के पश्चात् यथाशक्य प्रकाशित किए जाएंगे।

(2) धारा 4 के खण्ड (ख) के अधीन सदस्यों के रूप में इस प्रकार निर्वाचित या सहयोजित सभी व्यक्तियों के नाम भी यथाविहित रीति में गुरुद्वारा निर्वाचन आयुक्त द्वारा उसी प्रकार से प्रकाशित किए जाएंगे।

13. (1) राज्य सरकार किसी उपयुक्त व्यक्ति को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, गुरुद्वारा निर्वाचन आयुक्त। गुरुद्वारा निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त कर सकती है, जिसमें समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण और तैयार करने और संचालन की शक्तियां निहित होंगी।

(2) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबन्धों के उपयुक्त कार्यों और उचित प्रशासनिक रायनिर्णय के दृष्टिगत विशेष गुरुद्वारा निर्वाचन आयुक्त, अपर गुरुद्वारा निर्वाचन आयुक्त या संयुक्त गुरुद्वारा निर्वाचन आयुक्त या उप गुरुद्वारा निर्वाचन आयुक्त भी नियुक्त करेगी।

(3) कोई व्यक्ति गुरुद्वारा निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और वह वरिष्ठ अधिकारी के रूप में कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए न्यायिक, प्रशासनिक अथवा कार्यकारी अनुभव रखता हो।

(4) धारा 50 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, गुरुद्वारा निर्वाचन आयुक्त की पदावधि और सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं अथवा जैसा सरकार ठीक समझे।

निर्वाचन के बाद
सदस्यों का प्रथम
अधिवेशन।

14. (1) परिणाम की घोषणा के बाद नये निर्वाचित सदस्यों का अधिवेशन गुरुद्वारा निर्वाचन आयुक्त द्वारा बुलाया जाएगा तथा उक्त अधिवेशन में अपेक्षित सदस्यों की संख्या सहयोजित की जाएगी। निर्वाचित सदस्यों का प्रथम अधिवेशन धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन निर्वाचन के परिणाम के प्रकाशन के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र और पन्द्रह दिन व्यतीत होने से पूर्व आयोजित किया जाएगा।

(2) यदि निर्वाचित सदस्यों सहयोजित अथवा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले व्यक्तियों का चुनाव प्रथम अधिवेशन करने में असमर्थ हो, तो गुरुद्वारा निर्वाचन आयुक्त निर्वाचित सदस्यों के प्रथम अधिवेशन को किसी अन्य तिथि या तिथियों के लिए स्थगित कर सकेगा किन्तु ऐसी तिथि पूर्वोक्त प्रथम अधिवेशन की तिथि के पश्चात् पन्द्रह दिन से आगे नहीं होगी।

समिति का प्रथम
अधिवेशन।

15. (1) गुरुद्वारा निर्वाचन आयुक्त धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन सहयोजित समितियों के नामों के प्रकाशन के पश्चात् पन्द्रह दिन से पूर्व समिति का प्रथम अधिवेशन ऐसे स्थान पर, और ऐसी तिथि और समय पर बुलाएगा, जैसा वह ठीक समझे।

(2) प्रथम अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा जैसा गुरुद्वारा निर्वाचन आयुक्त नियत करे और वही उसकी अध्यक्षता करेगा :

परन्तु समिति के उक्त अधिवेशन की इस प्रकार अध्यक्षता करते समय गुरुद्वारा निर्वाचन आयुक्त को मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(3) समिति का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व और अनुसूची IV में इस प्रयोजनार्थ दिए गए प्ररूप के अनुसार गुरुद्वारा निर्वाचन आयुक्त के समक्ष शपथ लेगा।

(4) तत्पश्चात् समिति के सदस्य अपने में से उस अवसर के लिए अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी रीति में करेंगे जो विहित की जाए, जो अधिवेशन की अध्यक्षता तब तक करेगा जब तक समिति इसका नया अध्यक्ष निर्वाचित न कर लें।

कार्यकारी बोर्ड के
पदाधिकारियों का
निर्वाचन।

16. (1) धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन उस अवसर के लिए अध्यक्ष के निर्वाचन के पश्चात् समिति इसके प्रथम अधिवेशन में अपने सदस्यों में से एक प्रधान निर्वाचित करेगी जो इस धारा के अधीन अपेक्षित अन्य पदाधिकारियों और कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन का संचालन करेगा।

(2) समिति अपने प्रथम अधिवेशन में अपने सदस्यों में से एक वरिष्ठ उप प्रधान, कनिष्ठ उप प्रधान, महासचिव और एक संयुक्त सचिव (जिन्हें, इसमें, इसके पश्चात् पदाधिकारी निर्दिष्ट किया गया है) भी निर्वाचित करेगी और उसी अधिवेशन में उसी रीति में अपने सदस्यों में से कार्यकारी बोर्ड के छह सदस्य भी निर्वाचित करेगी और इस प्रकार निर्वाचित पदाधिकारियों और सदस्यों से उक्त समिति का कार्यकारी बोर्ड गठित होगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कार्यकारी बोर्ड के प्रधान और अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों का निर्वाचन या उन पदाधिकारियों में से किसी का पश्चात्पूर्वी निर्वाचन यथाविहित रीति में करवाया जाएगा।

(4) धारा 5 की उपधारा (2) के उपबंध जहां तक हो सके कार्यकारी बोर्ड की सदस्यता में किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए ऐसे लागू होंगे जैसे वे जिसका इसमें ऊपर समिति की सदस्यता में आकस्मिक रिक्तियों के संबंध में लागू हों ।

(5) समिति का कोई भी सदस्य जिसका इसमें ऊपर उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट पदों में से किसी पर एक ही समय एक से अधिक हैसियत में नहीं रहेगा ।

(6) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन निर्वाचित कार्यकारी बोर्ड का प्रधान और अन्य पदाधिकारी अर्द्धाई वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, जो समिति की अवधि से विस्तारित होगी ।

(7) प्रधान अथवा कोई अन्य पदाधिकारी तीन से अधिक अवधियों के लिए पात्र होगा किन्तु केवल सभी आगामी निर्वाचनों या उसके पश्चात्पूर्वी किसी भी मामले में दस वर्ष से अधिक नहीं होगी और उसी पद पर प्रधान अथवा अन्य पदाधिकारी का पद धारण करने के लिए पात्र होगा ।

(8) इस अधिनियम के प्रारम्भ के बाद, जब तक नये निर्वाचन नहीं करवाए जाते हैं, 41 सदस्यों से मिलकर बनने वाली तदर्थ समिति प्रत्येक किस्म की चल और अचल सम्पत्तियों सहित गुरुद्वारों की सभी आस्तियों का प्रबन्ध, पर्यवेक्षण और ग्रहण के लिए हरियाणा सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट की जाएंगी और तब तक हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के कार्यकलापों के प्रबन्ध के ऐसे प्रभार रखेगी जब तक नई समिति गठित नहीं हो जाती, जो वार्डों के परिसेमन, पात्र सदस्यों के पंजीकरण इत्यादि पर व्यतीत की गई अवधि सहित अठारह मास से अधिक नहीं होनी चाहिए :

परन्तु यह और कि सरकार द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सभी ईक्तालीस सदस्य अपना प्रधान, वरिष्ठ उप प्रधान, कनिष्ठ उप प्रधान, महासचिव, संयुक्त सचिव और छह सदस्य निर्वाचित करेंगे, जो समिति के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य होंगे तथा इनका प्रथम अधिवेशन सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा बुलाया जाएगा और उसकी अध्यक्षता करेगा । तदर्थ समिति और कार्यकारी बोर्ड नई कार्यकारी समिति के बनने के बाद अस्तित्वहीन हो जाएगी :

परन्तु यह और कि नई निर्वाचित हरियाणा गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति द्वारा कार्य ग्रहण करने के बाद तदर्थ समिति नई निर्वाचित समिति को कार्यभार सौंपेगी ।

17. (1) समिति का कोई सदस्य, प्रधान को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित में अपना पद त्याग सकेगा ।

(2) कार्यकारी बोर्ड का कोई पदाधिकारी अथवा कोई अन्य सदस्य—

(क) अपना पद रिक्त करेगा यदि वह समिति के सदस्य के रूप में नहीं रहता है ;

(ख) समिति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित में किसी समय अपना पद त्याग सकेगा ; तथा

सदस्यों और पदाधिकारियों का पद रिक्त करना, पद-त्याग करना और हटाया जाना ।

(ग) समिति द्वारा ज़रनल हाउस के कुल सदस्यों के दो तिहायी बहुमत द्वारा पारित, संकल्प से अपने पद से हटाया जा सकेगा :

परन्तु खण्ड (ग) के प्रयोजनार्थ, कोई संकल्प तभी प्रस्तावित किया जाएगा जब वह समिति के कम से कम सत्रह सदस्यों द्वारा समर्थित हो और संकल्प प्रस्तावित करने के उनके आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना दे दी गई हो।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन पदाधिकारी का त्यागपत्र ऐसी तिथि से प्रभावी होगा जिससे यह कार्यकारी बोर्ड द्वारा स्वीकार किया गया है और समिति द्वारा अभिपुष्ट की जाएगी।

सदस्यों की फीसों और भत्ते।

18. कार्यकारी बोर्ड का कोई पदाधिकारी या अन्य सदस्य या समिति का कोई अन्य सदस्य, यदि वह चाहे तो, यथाविहित, यथास्थिति, कार्यकारी बोर्ड या समिति के अधिवेशनों में हाजिर होने के लिए, और कार्यकारी बोर्ड या समिति का कोई अन्य कार्य करने के लिए ऐसी फीसों और भत्ते ले सकेगा।

समिति और कार्यकारी बोर्ड के अधिवेशन।

19. (1) समिति का वार्षिक साधारण अधिवेशन प्रत्येक वर्ष बोर्ड द्वारा सदस्यों को अधिसूचित की जाने वाली तिथि को आयोजित किया जाएगा।

(2) कार्यकारी बोर्ड का अधिवेशन यथाविहित प्रत्येक मास में कम से कम एक बार अथवा ऐसे अन्तरालों पर होगा।

(3) प्रधान अथवा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ उप प्रधान और दोनों की अनुपस्थिति में, कनिष्ठ उप प्रधान और सभी तीनों की अनुपस्थिति में, सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित कोई अन्य सदस्य समिति या कार्यकारी बोर्ड के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा :

परन्तु समिति या कार्यकारी बोर्ड के अधिवेशन को बुलाने के प्रयोजन हेतु गणपूर्ति निर्वाचित और सहयोजित सदस्यों को शामिल करते हुए, समिति या बोर्ड, जैसी भी स्थिति हो, के सदस्यों की कुल संख्या का, कम से कम दो तिहायी होगी।

(4) समिति और कार्यकारी बोर्ड अपने अधिवेशनों में बोर्ड या समिति के कार्य संव्यवहार के सम्बन्ध में यथाविहित ऐसे नियमों का अनुपालन करेंगे।

(5) अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, उन सभी प्रश्नों का विनिश्चय, जो समिति के किसी अधिवेशन के समक्ष आएँ, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के मतों की बहुसंख्या से किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

(6) समिति या कार्यकारी बोर्ड के सभी अधिवेशनों की कार्यवाही अधिमानतः गुरुमुखी लिपि या सदस्यों की बहुसंख्या द्वारा सर्वोत्तम ज्ञात भाषा में अभिलिखित की जाएगी।

उपसमितियों का गठन।

20. (1) कार्यकारी बोर्ड यथा विहित ऐसे प्रयोजन के लिए समिति के सदस्यों में से उप समितियों की ऐसी संख्या गठित करेगा जो वह ठीक समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित उपसमिति के अधिवेशन ऐसे समय और स्थानों पर होंगे और वह अपने अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के सम्बन्ध में यथाविहित ऐसे नियमों की प्रक्रिया का अनुपालन करेगी।

(3) उपसमिति का कोई सदस्य, यदि वह चाहे तो, उसके अधिवेशनों में हाजिर होने के लिए और उप समिति का कोई अन्य कार्य करने के लिए यथाविहित ऐसी फीस और भत्ते ले सकेगा।

21. (1) कार्यकारी बोर्ड समिति की ओर से उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा समिति को प्रदत्त हैं और जिनके बारे में अभिव्यक्त रूप में यह उपबन्ध नहीं है कि उनका प्रयोग समिति द्वारा साधारण अधिवेशन में किया जाए। कार्यकारी बोर्ड और उसके पदाधिकारियों की शक्तियाँ।

(2) कार्यकारी बोर्ड का प्रधान या कोई अन्य पदाधिकारी यथाविहित ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन कर सकेगा या जो समय-समय पर कार्यकारी बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, प्रधान, स्वप्रेरणा से या अन्यथा, किसी मामले का अभिलेख मंगा सकता है, किसी ऐसे आदेश का पुनरीक्षण कर सकेगा जो किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया हो जिसे ऐसी शक्तियाँ कार्यकारी बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित की गई हो और वह—

- (i) उस आदेश को पुष्ट, उपान्तरित या अपास्त कर सकेगा ;
- (ii) समिति या बोर्ड, जैसी भी स्थिति हो, के किसी कर्मचारी पर कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा या उस पर अधिरोपित किसी शास्ति को अपास्त कर सकेगा, कम कर सकेगा, पुष्ट कर सकेगा या बढ़ा सकेगा ;
- (iii) मामले को उस प्राधिकारी को जिसने आदेश किया है या किसी अन्य प्राधिकारी को भेज सकेगा और उसमें अग्रिम कार्रवाई या जांच का निदेश दे सकेगा जो उस मामले की परिस्थितियों में उचित समझी जाए ; अथवा
- (iv) ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(4) उपधारा (3) के अधीन प्रधान द्वारा पारित किसी आदेश का प्रवर्तन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वह कार्यकारी बोर्ड द्वारा साधारण बहुमत से पुष्ट न कर दिया जाए।

22. समिति या कार्यकारी बोर्ड या किसी उपसमिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल किसी कारण से जो भी हो के कारण किसी व्यक्ति द्वारा समिति, बोर्ड या उप समिति, जैसी भी स्थिति हो, के गठन में इस त्रुटि के कारण अविधिमाम्य नहीं होगी। समिति, कार्यकारी बोर्ड या उपसमितियों के कार्यों की विधिमाम्यता।

समिति के अधिकारी
और अन्य कर्मचारी।

23. (1) समिति उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी जितने वह अपने कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक समझे, और समय-समय पर उन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या, उनके पदनाम, ग्रेड और वेतनमान या अन्य पारिश्रमिक अवधारित कर सकेगी और किसी अधिकारी या किसी अन्य कर्मचारी को उसकी असावधानी, अयोग्यता या कर्तव्य-उपेक्षा या लापरवाही या किसी अन्य अवचार के आधार पर अवनत या निलम्बित कर सकेगी, हटा सकेगी या पदच्युत कर सकेगी या उस पर कोई अन्य शास्ति अधिरोपित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी और अन्य कर्मचारी यथाविहित ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे या जो समिति द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित किए जाएं।

(3) अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें यथाविहित ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन होंगी :

परन्तु इस अधिनियम की प्रारम्भ की तिथि से शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति या किसी स्थानीय गुरुद्वारा के प्रबन्धन के अधीन वर्तमान में कार्यरत सभी कर्मचारी नई प्रबन्धक समिति या कार्यकारी बोर्ड या स्थानीय गुरुद्वारा प्रबन्धक के नियोजन के अधीन समझे जाएंगे :

परन्तु यह और कि वर्तमान कर्मचारियों की सेवा शर्तें इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय उनको यथा लागू नियमों द्वारा तब तक शास्ति होगी जब तक इस अधिनियम के अधीन नियम या विनियम नहीं बनाए जाते।

अध्याय-III

समिति की शक्तियाँ और कृत्य

समिति की शक्तियाँ
और कृत्य।

24. इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, हरियाणा राज्य के भीतर सभी गुरुद्वारों तथा गुरुद्वारा सम्पत्ति का नियंत्रण, निदेशन तथा साधारण अधीक्षण समिति में निहित होगा, और समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह—

- (i) गुरुद्वारों में धार्मिक कृत्यों और कर्मों और गृह कर्मों के उचित रूप से किए जाने की व्यवस्था करे ;
- (ii) गुरुद्वारों में उपासकों द्वारा की जाने वाली पूजा हेतु सुविधाएं प्रदान करे;
- (iii) अपनी निधियों, चल और अचल सम्पत्तियों, निक्षेपों तथा नकद अथवा अन्य किसी किस्म के चढ़ावे की सुरक्षित अभिरक्षा और यथाविहित रीति में निधियों के उचित प्रयोग को सुनिश्चित करे ;
- (iv) ऐसी सभी बातें या कृत्य करें जो समिति के अधीन गुरुद्वारों, शैक्षिक तथा अन्य संस्थाओं के कार्यकलापों तथा उनकी सम्पत्ति के दक्ष प्रबन्ध की सुविधाओं के लिए आनुषंगिक तथा सहायक हों ;

- (v) तीर्थयात्रियों या उपासकों के लिए उपयुक्त आवास तथा सुविधाओं की व्यवस्था करे ;
- (vi) आने वाले उपासकों को भुक्त खाना देने के लिए लंगर चलाए ;
- (vii) ऐतिहासिक तथा अन्य गुरुद्वारों, शैक्षिक तथा अन्य संस्थाओं और उनकी सम्पत्ति का इस प्रकार प्रबन्ध करे कि वे सिख परम्परा, संस्कृति, कुल-परम्परा तथा धर्म को ऐसे रूप में उन्नत करे ;
- (viii) अपने प्रबन्ध के अधीन गुरुद्वारों, शैक्षिक तथा अन्य संस्थाओं में व्यवस्था, अनुशासन तथा उचित स्वास्थ्यकर दशाओं को बनाए रखना सुनिश्चित करने ;
- (ix) दर्शन करने वाले भक्तों की चिकित्सा जांच तथा उचित सहायता के लिए निःशुल्क औषधालय खोलने ;
- (x) शिक्षा, संस्कृति तथा सिख परम्परा का, विशेषकर गुरुमुखी लिपि में पंजाबी के ज्ञान का विस्तार करने ;
- (xi) सिख संगत तथा दर्शन करने वाले भक्तों की सुविधा के लिए शैक्षिक, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, सूचना तथा प्रौद्योगिकी, संस्था, अनुसंधान केन्द्र तथा पुस्तकालय स्थापित करने ;
- (xii) धार्मिक तथा शैक्षिक संस्थाओं, सोसाइटियों को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने तथा दैनिक कार्य में संलग्न जरूरतमन्द व्यक्तियों को वित्तीय सहायता का भी प्रबन्ध करने ;
- (xiii) समिति द्वारा प्रबन्धित विद्यालयों या संस्थाओं में अध्ययन कर रहे गरीब, जरूरतमन्द तथा योग्य विद्यार्थियों को वृत्तिकाएं देने ;
- (xiv) सिख मर्यादा के अनुसार सिख समुदाय की उन्नति के लिए तथा सिख धर्म, मत, धार्मिक कृत्य तथा अनुष्ठानों के प्रचार के लिए सहायता देने;
- (xv) राज्य या केन्द्रीय सरकार, जैसी भी स्थिति हो, के परामर्श से पाकिस्तान या विश्व के अन्य भागों में पूजास्थलों तथा सिख गुरुद्वारों में हरियाणा राज्य से सम्बन्धित सिख भक्तों की तीर्थ यात्रा के लिए व्यवस्था करने ;
- (xvi) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सिक्खवाद के आदर्शों तथा उच्च परम्पराओं को कार्यान्वित करने के लिए यथाविहित ऐसे अन्य कृत्य ग्रहण तथा पूरे करने तथा ऐसे धार्मिक या धर्मार्थ कार्य करने ।

अध्याय-IV

गुरुद्वारा निधि, लेखे तथा लेखापरीक्षा

गुरुद्वारा निधि।

25. (1) गुरुद्वारा निधि होगी तथा गुरुद्वारे की सभी प्राप्तियां तथा आय तथा गुरुद्वारा सम्पत्ति (गुरुद्वारा सम्पत्ति में तत्समय के लिए समाविष्ट सभी राशियों सहित) नियमों के अनुसार उचित रूप से अनुरक्षित बैंक लेखों में गुरुद्वारा निधि के लेखे में जमा की जाएगी।

(2) गुरुद्वारा निधि उसमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए न्यास में समिति द्वारा रखी जाएगी तथा इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों द्वारा प्राधिकृत से भिन्न किसी अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त नहीं की जाएगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन इसके कृत्यों के निर्वहन में समिति द्वारा उपगत या सभी व्यय या खर्च या किए जाने वाले भुगतान या संवितरण यथाविहित रीति में गुरुद्वारा निधि से किए जाएंगे।

राजनीतिक प्रयोजनों
के लिए अभिदाय
करने के बारे में
प्रतिषेध।

26. इस अधिनियम की कोई बात,—

(क) किसी राजनीतिक दल को ; अथवा

(ख) किसी राजनीतिक दल के फायदे के लिए ; अथवा

(ग) किसी व्यक्ति अथवा निकाय को किसी राजनीतिक प्रयोजन के लिए, किसी रकम या किन्हीं रकमों का अभिदाय करने के लिए समिति को न तो प्राधिकृत करेगी और न प्राधिकृत करने वाली समझी जाएगी।

बजट

27. (1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में, समिति का सम्बद्ध वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण) समिति के समक्ष रखा जाएगा और सम्यक् रूप से पारित किया जाएगा तथा उक्त समिति के साधारण सदन द्वारा विधिवत् पारित किया जाएगा।

(2) गुरुद्वारा निधि में से कोई धन समिति के उचित अनुमोदन के बिना इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित रीति में यथा उपबन्धित के सिवाए विनियोजित नहीं किया जाएगा।

लेखों का रखा
जाना।

28. (1) समिति उचित लेखे रखेगी जिनमें गुरुद्वारा निधि में होने वाली प्राप्ति तथा उससे होने वाले व्यय के लेखे को दिखाया जाएगा तथा दैनिक लेखों के लिए उचित कैशबुक तथा लेजर यथाविहित रीति में रखा जाएगा।

(2) प्रत्येक कलेण्डर मास के अन्त में, तत्स्थानी मास के सम्बन्ध में आय तथा व्यय के लेखे का विवरण आगामी मास के दसवें दिन से पहले तैयार किया जाएगा और समिति के समक्ष रखा जाएगा और उसे सभी गुरुद्वारों के बाहर नोटिस बोर्ड पर सहजदृश्य स्थानों पर लगा दिया जाएगा, और किसी विशेष वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में आय तथा व्यय लेखे दिखाने वाला समेकित वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में उसी प्रकार से तैयार किया जाएगा

और सामान्य सदन के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए समिति के समक्ष तथा गुरुद्वारों के बाहर प्रदर्शित भी किया जाएगा :

परन्तु प्रत्येक मास के लिए तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में लेखों के विवरण की प्रति समिति के सभी सदस्यों को प्रेषित की जाएगी तथा समिति का कोई सदस्य ऐसी प्रति की प्राप्ति से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर लेखों के विवरण में विसंगतियाँ, यदि कोई हों, बता सकता है तथा ऐसे आक्षेप नियमों के अधीन विहित रीति के अनुसार लेखा-परीक्षा के अध्याधीन होंगे :

परन्तु यह और कि यदि कोई विसंगति लेखा-परीक्षा के दौरान बताई जाती है, तो विसंगतियों को उक्त प्रयोजन के लिए पन्द्रह दिन के स्पष्ट नोटिस सहित विशेष रूप से बुलाई गई बैठक में लेखों के लिए उसे पुनः प्रस्तुत करने से पूर्व सदन द्वारा ठीक किया जाएगा।

29. (1) समिति के लेख, जिनके अन्तर्गत समिति द्वारा प्रशासित गुरुद्वारों और शैक्षिक तथा अन्य खैराती संस्थानों को सम्मिलित करते हुए गुरुद्वारा सम्पत्ति के लेख भी हैं, एक या अधिक ऐसे लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित किए जाएंगे, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 का उपधारा (1) के अधीन लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से अर्हित हों (जिन्हें, इसमें, इसके पश्चात् लेखापरीक्षक कहा गया है) और वे प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले साठ दिन के भीतर समिति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और उतना पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे जितना समिति विहित करे।

(2) ऐसी किसी लेखापरीक्षा तथा लेखों की परीक्षा के प्रयोजनार्थ लेखा-परीक्षक, लिखित रूप में मांग करके, समिति से अथवा समिति के किसी सदस्य या पदाधिकारी, या कर्मचारी से अथवा किसी गुरुद्वारे, समिति की शैक्षिक या अन्य संस्था से अपेक्षा कर सकेंगे कि वह उसके समक्ष ऐसी सभी पुस्तकें, विलेख, वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र पेश करे, जो वह आवश्यक समझें, और ऐसी किन्हीं पुस्तकों, विलेखों, वाउचरों, दस्तावेजों और कागज-पत्रों को रखने वाले या उनके लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेंगे कि वह उनके समक्ष किसी लेखापरीक्षा या परीक्षा में उपस्थित हो, और उसके बारे में उन सभी प्रश्नों के उत्तर दे जो उनके बारे में उससे पूछे जाएं तथा और कोई ऐसा विवरण तैयार और प्रस्तुत करें जिसे ऐसा लेखापरीक्षक आवश्यक समझें।

(3) लेखापरीक्षा तथा परीक्षा के पूरे होने के पश्चात् तीस दिन के भीतर, लेखापरीक्षक प्रत्येक ऐसे लेख पर जिसकी लेखा परीक्षा और परीक्षा की गई हो, समिति को रिपोर्ट देगा।

(4) लेखापरीक्षा रिपोर्ट, उसके प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर, हरियाणा के कम से कम दो दैनिक पत्रों में (जिसमें एक अंग्रेजी का हो और एक पंजाबी का हो) तथा गुरुद्वारा पत्रिका में भी, यदि कोई हो, प्रकाशित की जाएगी।

(5) लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में, अन्य विषयों के साथ-साथ, व्यय की उन मदों को जो उसकी राय में अवैध, अनियमित तथा अनुचित हों, समिति को देय धन अथवा सम्पत्ति के वसूल न किए जाने वाले सभी मामलों को, अपेक्षा अथवा कदाचार के कारण धन अथवा

सम्पत्ति की हानि या अनिष्टकर व्यय के सभी मामलों को तथा ऐसे सभी मामलों को जिनमें किसी धन अथवा सम्पत्ति को ऐसे किसी अन्य प्रयोजन में लगाया गया हो, जो इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए नियमों या विनियमों द्वारा प्राधिकृत नहीं है, विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर समिति द्वारा विचार।

30. समिति, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख के ठीक पश्चात् के अधिवेशन में ऐसी रिपोर्ट पर विचार करेगी और अपना समाधान करेगी कि उसमें दिखाया गया कोई व्यय इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ही किया गया है, अन्यथा नहीं, और ऐसे आदेश करेगी जो उसकी राय में अवैध अप्राधिकृत अथवा अनुचित व्यय की परिशुद्धि के लिए आवश्यक और उचित हों तथा रिपोर्ट पर ऐसे और आदेश भी कर सकेगी जो वह उपयुक्त तथा उचित समझे :

परन्तु उस दशा में जब निकट आगामी अधिवेशन रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् दो मास से पूर्व किसी दिन पड़ता हो उस पर उसके ठीक पश्चात् के अधिवेशन में विचार किया जा सकेगा जो उक्त रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की कालावधि के अवसान के पूर्व बुलाया जाएगा।

अध्याय—V

निर्वाचन तथा अन्य विवादों का निपटारा

समिति के सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी विवाद।

31. समिति के सदस्यों के निर्वाचन के बारे में किसी विवाद की दशा में आयुक्त गुरुद्वारा निर्वाचन या जो सरकार के परामर्श से नियुक्त उसका नामनिर्देशिती रीति जो आयुक्त, गुरुद्वारा निर्वाचन द्वारा सुझाई जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार विहित या अपनाई जाए, में सभी निर्वाचन याचिकाएं, विधि के अनुसार सुनी जाएंगी, न्यायनिर्णीत की जाएंगी तथा निपटाई जाएंगी, जैसा वह आवश्यक समझे तथा किसी निर्वाचन विवाद या निर्वाचन शिकायत पर किया गया निर्णय अन्तिम होगा :

परन्तु सिविल न्यायालय को गुरुद्वारा निर्वाचन से सम्बन्धित किसी निर्वाचन याचिका, निर्वाचन विवाद या किसी शिकायत को ग्रहण, सुनवाई तथा विचार करने की अधिकारिता नहीं होगी तथा किसी ऐसे न्यायालय की अधिकारिता इस अध्याय के अधीन निर्वाचन अपराधों के सिवाय बाधित नहीं होगी।

चुनाव वाले दिन सार्वजनिक सभा की मनाही।

32. (1) कोई व्यक्ति किसी चुनाव क्षेत्र में, उस तिथि या उन तिथियों को, जिस या जिनको कि उस चुनाव क्षेत्र में मतदान किया जाता है कोई सार्वजनिक सभा नहीं बुलाएगा, न करेगा और न ही उसमें उपस्थित होगा।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है वह ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

चुनाव सभाओं में गड़बड़।

33. (1) जो कोई व्यक्ति सार्वजनिक सभा में, जिस के सम्बन्ध में, यह धारा लागू है, उस कारवार के संव्यवहरण के निवारण के प्रयोजनों के लिए जिसके लिए कि वह सभा की गई थी, विश्रुखल रीति में कार्य करता है या दूसरों को कार्य करने के लिए उकसाता है वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) यह धारा राजनैतिक स्वरूप की ऐसी किसी सार्वजनिक सभा पर लागू होती है जोकि सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र को समाहृत करने वाले इस अधिनियम के अधीन बनाई गई कार्यकारी बोर्ड या समिति निर्वाचन नियम के अधीन जारी किए गए नोटिस की तिथि के और उस तिथि के, जिसको कि ऐसा चुनाव होता है, बीच उस चुनाव क्षेत्र में की गई है।

34. (1) ऐसा प्रत्येक पदाधिकारी, क्लर्क, एजेंट या अन्य व्यक्ति जो चुनाव में मतों के अभिलिखित करने या गिनने के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य का पालन करता है मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने वाली कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय) संसूचित नहीं करेगा। मतदान को गोपनीय बनाए रखना।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है वह कारावास से, जिसको अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या पांच हजार रुपए तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

35. (1) जो कोई व्यक्ति निर्वाचन पदाधिकारी या निर्वाचन में पीठासीन या मतदान पदाधिकारी है, या ऐसा पदाधिकारी है या क्लर्क है जिसे कि निर्वाचन पदाधिकारी या पीठासीन पदाधिकारी ने निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य के पालन के लिए नियुक्त किया है वह निर्वाचन के संचालन या प्रबन्ध में (मत देने से निम्न) कोई कार्य उम्मीदवार के निर्वाचन की सम्भाव्यता को अग्रसर करने के लिए नहीं करेगा; चुनावों के समय आधिकारी इत्यादि उम्मीदवारों के लिए कार्य नहीं करेंगे या को प्रभावित नहीं करना।

(2) पूर्वोक्त जैसा कोई व्यक्ति और पुलिस बल का कोई सदस्य—

(क) किसी व्यक्ति को चुनाव में अपना मत देने के लिये मनाने का; या

(ख) चुनाव में अपना मत न देने के लिये किसी व्यक्ति को मनाने का; या

(ग) चुनाव में किसी व्यक्ति के मतदान पर किसी रीति में असर डालने का प्रयास नहीं करेगा।

(3) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

36. (1) कोई व्यक्ति उस तिथि को या उन तिथियों को, जिसको या जिनको कि किसी मतदान केन्द्र में मतदान लिया जाता है, मतदान केन्द्र के अन्दर या मतदान केन्द्र के एक सौ गज की दूरी के अन्दर किसी लोक या अलोक स्थान में निम्नलिखित कार्यों में से अर्थात्— मतदान केन्द्रों में या उनके निकट मत याचना का निषेध।

(क) मतों के लिये याचना करने; या

(ख) किसी निर्वाचक के मत की प्रयाचना करने; या

- (ग) किसी विशिष्ट उम्मीदवार के लिए मत न देने को किसी निर्वाचक को मनाने ; या
- (घ) चुनाव में मत न देने के लिए किसी निर्वाचक को मनाने ; या
- (ङ) चुनाव के सम्बन्ध में (सरकारी नोटिस से भिन्न) कोई नोटिस या निशान प्रदर्शित करने में से कोई कार्य न करेगा।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

मतदान केन्द्रों में या उनके निकट विश्रुखल आचरण के लिए शक्ति।

37. (1) कोई व्यक्ति उस तिथि या उन तिथियों को जिसको या जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान दिया जाता है :-

- (क) मानवीय ध्वनि के विस्तारण या प्रत्युत्पादन के लिये कोई मैगाफोन या ध्वनिविरतारिक जैसा आला मतदान केन्द्र के अन्दर या प्रवेश स्थल में या उसके पड़ोस में से किसी लोक या अलोक स्थान में ऐसे प्रयोग या प्रवर्तन में न लायेगा ; या
- (ख) मतदान केन्द्र के अन्दर या प्रवेश स्थल में या उसके पड़ोस में किसी लोक या अलोक स्थान में ऐसे न चिल्लायेगा और न विश्रुखल रीति से अन्यथा ऐसा कार्य करेगा कि मतदान के लिये मतदान केन्द्र में आने वाले किसी व्यक्ति को क्लेश हो या मतदान केन्द्र में कर्तव्यारूढ़ पदाधिकारियों या अन्य व्यक्तियों के काम में हस्ताक्षेप हो।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता या उल्लंघन में स्वेच्छा से सहायता या अभिप्रेरण करता है वह कारावास से, जो तीन मास तक हो सकेगा, या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(3) यदि मतदान केन्द्र में पीठासीन पदाधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है तो वह किसी पुलिस पदाधिकारी को निदेश दे सकेगा कि वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करे और पुलिस पदाधिकार पदपरि उसे गिरफ्तार करेगा।

(4) कोई पुलिस पदाधिकारी ऐसे कदम उठा सकेगा और ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा या जैसा कि उपधारा (1) के उपबन्धों के किसी उल्लंघन निवारण करने के लिए युक्ति-युक्त-रूपेण आवश्यक है या है और ऐसे उल्लंघन के लिए प्रयुक्त किसी आले को अभिमूहीत कर सकेगा।

मतदान केन्द्रों पर अवचार के लिए शक्ति।

38. (1) जो कोई व्यक्ति किसी मतदान केन्द्र में मतदान के नियत घंटों के दौरान स्वयं अवचार करता है या पीठासीन पदाधिकारी के विधिपूर्ण निदेशों की आज्ञा पालन करने में असफल रहता है, उसे पीठासीन पदाधिकारी या कर्तव्यारूढ़ कोई पुलिस पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र से हटा सकेगा।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियां ऐसे प्रयुक्त न की जाएंगी कि ऐसा कोई निर्वाचक, जो अन्यथा मतदान केन्द्र में मत देने के लिए हकदार है, उस निर्वाचन में मतदान करने का अवसर पाने से निवारित हो जाए।

(3) यदि कोई व्यक्ति जो मतदान केन्द्र से ऐसे हटा दिया गया है, पीठासीन पदाधिकारी की अनुज्ञा के बिना मतदान केन्द्र में पुनः प्रवेश करता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

39. यदि कोई व्यक्ति चुनाव में या चुनाव के सम्बन्ध में अवैध रूप से वाहन किराए पर लेने या प्राप्त करने के सम्बन्ध में किसी ऐसे भ्रष्ट आचरण का दोषी है, तो वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

चुनावों में अवैध रूप से वाहन किराये पर लेने या प्राप्त करने के लिए दण्ड।

40. (1) यदि कोई व्यक्ति जिस पर कि यह धारा लागू है अपने पदीय कर्तव्य को भंग में किसी कार्य या कार्यलोप के लिए युक्ति-युक्त हेतु के बिना दोषी है तो वह जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

चुनावों से संबंधित सरकारी कर्तव्य-भंग।

(2) उसकी कार्यालय ड्यूटी के निर्वहन को अग्रसर करने के लिए पूर्वोक्त जैसे कि किसी कार्य या कार्य-लोप की बाबत नुकसान धन के लिए कोई पाद या अन्य वैध कार्यवाही ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ न होगी।

(3) जिन व्यक्तियों पर यह धारा लागू होती है वे व्यक्ति डिप्टी-कमिश्नर, निर्वाचन पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी और कोई अन्य व्यक्ति है जोकि निर्वाचक सूची की तैयारी उम्मीदवारों से नामांकन की प्राप्ति या उम्मीदवारी से नाम वापिस लेने या चुनाव में मतों का अभिलेख करने या गिनने से सम्बन्धित किसी कर्तव्य के पालन के लिए नियुक्त हैं और "पदीय कर्तव्य" पदावली का अर्थ इस धारा के प्रयोजनों के लिए तदनुकूल लगाया जाएगा, किन्तु इसके अन्तर्गत वे कर्तव्य नहीं होंगे जोकि इस अधिनियम के अधीन बनायी गई कार्यकारी बोर्ड या समिति चुनाव नियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित होने से अन्यथा अधिरोपित हैं।

41. (1) जो कोई व्यक्ति चुनाव में मतदान केन्द्र से मतपत्र कपटपूर्वक बाहर ले जाता है या बाहर ले जाने की कोशिश करता है या किसी ऐसे कार्य के करने में स्वेच्छा से सहायता या अभिप्रेरण करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

मतदान केन्द्र से मतपत्रों का हटाना अपराध होगा।

(2) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन पदाधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है तो ऐसा पदाधिकारी मतदान केन्द्र को ऐसे व्यक्ति द्वारा छोड़े जाने से पहले ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा या ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने को पुलिस पदाधिकारी को निदेश दे सकेगा और ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा या पुलिस पदाधिकारी द्वारा उसकी तलाशी करवा सकेगा :

परन्तु जब कभी किसी स्त्री की तलाशी ली जानी आवश्यक हो तब वह तलाशी शिष्टता का पूर्णतया ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा ली जाएगी।

(3) -- गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास गिली कोई मत पर्ची पुलिस पदाधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाने के वास्ते पीठासीन पदाधिकारी द्वारा दे दी जायेगी या जबकि तलाशी पुलिस पदाधिकारी द्वारा ली गई है तब उसे ऐसा पदाधिकारी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

दूसरे अपराध तथा
उन्के लिए शास्ति।

42. (1) यदि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में --

(क) कोई नामांकन पत्र कपटपूर्वक विरूपित करता है या कपटपूर्वक नष्ट करता है ; या

(ख) निर्वाचन-पदाधिकारी के प्राधिकार के द्वारा या अधीन लगाई गई किसी सूची, नोटिस या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित करता है, नष्ट करता है या हटाता है ; या

(ग) किसी मतपर्ची या किसी मतपर्ची पर राजकीय निशान, यदि कोई हो, या किसी पहचान की घोषणा या राजकीय लिफाफे को, जोकि विशेष मतपर्ची द्वारा मतदान के सम्बन्ध में प्रयुक्त किया गया है, कपटपूर्वक विरूपित करता है या कपटपूर्वक नष्ट करता है ; या

(घ) किसी व्यक्ति को कोई मतपर्ची सम्यक् प्राधिकार के बिना सफाई करता है ; या

(ङ) किसी मत-पेटी में मतपर्ची से जिसे कि वह उसमें डालने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है, भिन्न कोई चीज कपटपूर्वक डालता है ; या

(च) किसी मतपेटी या मतपर्चियों को, जोकि निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तब प्रयोग में है, सम्यक् प्राधिकार के बिना नष्ट करता है, लेता है, खोलता है या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करता है ; या

(छ) यथास्थिति कपटपूर्वक या सम्यक् प्राधिकार के बिना पूर्ववर्ती कथों में से कोई करने की चेष्टा करता है या किन्हीं ऐसे कार्यों को करने में रवेच्छा से सहायता या अभिप्रेरण करता है, तो वह व्यक्ति निर्वाचन अपराध का दोषी होगा।

(2) इस धारा के अधीन निर्वाचन अपराध का दोषी कोई व्यक्ति--

(क) यदि निर्वाचन पदाधिकारी या मतदान केन्द्र में पीठासीन पदाधिकारी है या चुनाव के सम्बन्ध में पदीय कर्तव्य पर नियोजित कोई अन्य पदाधिकारी या क्लर्क है तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा;

(ख) यदि कोई अन्य व्यक्ति है तो वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(3) यदि व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह मतों की संगणना सहित निर्वाचन के या निर्वाचन के भाग के संचालन में भाग ले या ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रयुक्त मत पर्चियों की अभिरक्षा और अन्य दस्तावेजों के लिए निर्वाचन के पश्चात् उत्तरदायी रहे तो उस व्यक्ति की बाबत इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह पदीय कर्तव्य पर है।

43. (1) यदि चुनाव-कमिश्नर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कतिपय अपराधों के धारा 35 के अधीन, या धारा 40 के अधीन या धारा 42 के खण्ड (क) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किसी निर्वाचन की बाबत किया गया है तो आयुक्त, गुरुद्वारा निर्वाचन का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी जांच कराए और ऐसे अभियोजन संस्थित करे जैसे कि मामले की परिस्थितियों से उसे अपेक्षित वारंट हो। धारा अपराधों के बारे में अभियोजन।

(2) जब तक कि गुरुद्वारा निर्वाचन आयुक्त के आदेश द्वारा या प्राधिकार के अधीन परिवार न किया गया हो कोई न्यायालय धारा 35 के अधीन या धारा 40 के अधीन या धारा 42 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का प्रसंज्ञान न करेगा।

44. पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष न्यायालय को निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में भी अधिकारिता होगी, अर्थात्— अन्तर्गत में जिला न्यायालय की अधिकारिता।

(क) कोई ऐसी याचिका जिसमें यह विवाद का प्रश्न हो कि कोई व्यक्ति मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन के अथवा समिति का सदस्य होने के लिए निर्वाचन लड़ने के या सदस्य के रूप में सहयोग के प्रयोजनार्थ सिद्ध है या नहीं;

(ख) कोई ऐसी याचिका जिसमें यह प्रश्न हो कि समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के प्रयोजनार्थ कोई व्यक्ति अर्हता है या निरर्हता है ;

(ग) समिति तथा उसके कर्मचारियों के बीच में, जिनके अन्तर्गत भूतपूर्व कर्मचारी भी हैं, किसी प्रकार के विवाद से उद्भूत होने वाली अर्जियां।

45. (1) पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश से व्यधित कोई व्यक्ति, उस आदेश से नब्बे दिन के भीतर पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ को अपील कर सकेगा और ऐसी अपील पर उच्च न्यायालय का आदेश अन्तिम होगा। अपीलें।

(2) परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) की धारा 5 और 12 के उपबन्ध यथाशक्य, इस धारा के अधीन की अपीलों को लागू होंगे।

अध्याय—VI

हरियाणा सिक्ख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग

न्यायिक आयोग तथा
इसके कृत्य।

46. (1) हरियाणा सिक्ख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग का गठन किया जाएगा जो तीन सदस्यों से बनेगा जो निम्नलिखित अर्हताओं सहित राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा यथा आवश्यक समय-समय पर नियुक्त इस अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित सिक्ख होंगे—

- (i) सरकारी सेवा से उसकी सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र के समय पर जिला न्यायाधीश है या था जो उसकी अधिवृत्ति पर उसी रूप में कम से कम दस वर्ष की सेवा रखता हो ;
- (ii) जिला मुख्यालय में या उच्च न्यायालय के बार में कम से कम दस वर्ष की अवधि रखने वाला अधिवक्ता है ;
- (iii) ऐसा व्यक्ति है जो उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय में कांस्टेबल या सेवानिवृत्त सरकारी प्लीडर है तथा रहा है तथा आयोग के सदस्य, या अध्यक्ष के रूप में उसकी नियुक्ति के समय पर उसके नाम में कम से कम दस वर्ष की सेवा हो ;
- (iv) अध्यक्ष, जिला न्यायाधीश होगा यदि इस प्रकार नियुक्त किया गया है तथा यदि जिला न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जाता है, तो आयोग के तीन चयनित सदस्यों में से एक सेवा में या बार में, जैसी भी स्थिति हो, उनकी वरिष्ठता के अनुसार अध्यक्ष होगा, तथा अध्यक्ष या सदस्य की अवधि पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, होगी ;

परन्तु आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य को नियुक्ति के निर्बन्धन तथा शर्तें विहित रीति में गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जायेंगी। नियुक्ति, वेतन, भत्ते इत्यादि के निर्बन्धन तथा शर्तें गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के परामर्श से सरकार द्वारा नियत किए जाएंगे तथा सहायक अमले की भर्ती तथा कार्यालय के रख-रखाव सहित उक्त प्रयोजन या किसी आनुषंगिक प्रचारों का खर्च हरियाणा सरकारी खजाने से चुकाये जायेंगे :

परन्तु यह और कि सिक्ख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग निगमित निकाय होगा तथा आयुक्त गुरुद्वारा निर्वाचन, हरियाणा सरकार या हरियाणा सिक्ख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति या कार्यकारी बोर्ड, जैसी भी स्थिति हो, का स्वतन्त्र रूप से कार्य करेगा :

परन्तु यह और कि सिक्ख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग द्वारा लिया गया कोई निर्णय अन्तिम होगा।

(2) आपोग गुरुद्वारा निधि तथा गुरुद्वारा समिति तथा कार्यकारी बोर्ड के बीच परस्पर या विभिन्न गुरुद्वारा तथा निजी व्यक्ति या किसी अन्य संस्था या किसी अन्य विधिक व्यक्ति के बीच परस्पर अन्य आनुषंगिक विवादों सहित चल या अचल गुरुद्वारा सम्पत्ति से संबंधित विवादों को न्यायनिर्णीत करेगा।

अध्याय-VII

प्रकीर्ण

47. (1) कोई पंजीकृत सिंह सभा अपने नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय गुरुद्वारे के सम्बन्ध में अपनी कूल सदस्यता की तीन-चौथाई बहुमत से अंगीकृत संकल्प द्वारा विनिश्चय कर सकेगी कि उस स्थानीय गुरुद्वारे को समिति से संबद्ध कर दिया जाए और यदि समिति उसकी सम्मति दे देती है तो उक्त स्थानीय गुरुद्वारा समिति से संबद्ध किया गया समझा जाएगा।

स्थानीय गुरुद्वारों को सम्बद्ध किए जाने की प्रक्रिया।

(2) इस प्रकार संबद्ध किए गए स्थानीय गुरुद्वारे की तथा पंजीकृत सिंह सभा की सभी आस्तियां तथा दायित्व, तत्पश्चात् समिति में स्थित हो जाएंगे।

48. इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में दी गई कोई बात—

सिख धर्म के कृत्यों तथा प्रथाओं पर अधिनियम का प्रभाव न पड़ना।

(क) इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों में अन्वित रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी ऐसे सम्मान, उपलब्धि या परिलब्धि पर प्रभाव नहीं डालेगी जिसका कि कोई व्यक्ति किसी गुरुद्वारे में रुढ़ि द्वारा या अन्यथा हकदार हो।

(ख) किसी गुरुद्वारे में किए जाने वाले धार्मिक या आध्यात्मिक कृत्य में किसी हस्तक्षेप को प्राधिकृत नहीं करेगी।

49. समिति, कार्यकारी बोर्ड या किसी उपसमिति का प्रत्येक सदस्य, गुरुद्वारा निर्वाचन आयुक्त तथा समिति का प्रत्येक अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का लोक सेवक होना।

50. न्यायिक आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों तथा सहबद्ध अमले सहित विशेष आयुक्त, गुरुद्वारा निर्वाचन, संयुक्त आयुक्त गुरुद्वारा निर्वाचन, उप गुरुद्वारा निर्वाचन सहित आयुक्त गुरुद्वारा निर्वाचन के वेतन इत्यादि हरियाणा सरकार के खजाने से प्रभारित किए जाएंगे।

वेतन।

परन्तु हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति, कार्यकारी बोर्ड के निर्वाचन कराने के लिए सभी व्यय या आयोग द्वारा निर्वाचन से सम्बन्धित सभी आनुषंगिक प्रभार हरियाणा सरकार के खजाने में से चुकाए जाएंगे।

51. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही समिति, कार्यकारी बोर्ड या किसी उपसमिति के किसी सदस्य के, गुरुद्वारा निर्वाचन आयुक्त के या समिति के किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध न होगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण।

नियम बनाने की
शक्ति।

52. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उद्देश्यों तथा उपायों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टता, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध या उनका विनियमन कर सकेंगे, अर्थात् :-

- (क) रीति जिसमें धारा 2 के खण्ड (ज) के प्रयोजनार्थ घोषणा की जाएगी;
- (ख) निर्वाचक नामावलियों में दर्ज किए जाने वाले व्यौरे ;
- (ग) निर्वाचक नामावलियों का प्रारम्भिक प्रकाशन ;
- (घ) रीति जिसमें तथा समय जिसके भीतर निर्वाचक नामावलियों में प्रदिष्टियों के बारे में दावे तथा आक्षेप किए जा सकेंगे ;
- (ङ) रीति जिसमें दावों या आक्षेपों की सुनवाई प्रकाशित की जाएगी ;
- (च) स्थान, तिथि तथा समय जिस पर दावों या आक्षेपों की सुनवाई की जाएगी तथा रीति जिसमें दावों या आक्षेपों की सुनवाई की जाएगी तथा उनका निपटारा किया जाएगा ;
- (छ) निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन ;
- (ज) निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण तथा उनकी शुद्धि और उनमें नामों का सम्मिलित किया जाना ;
- (झ) निर्वाचकों के संचालन के लिए रिटर्निंग आफिसरों, सहायक रिटर्निंग आफिसरों, पीतासीन आफिसरों तथा मतदान आफिसरों की नियुक्ति;
- (ञ) अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन, नामनिर्देशन पत्रों के प्ररूप, नामनिर्देशनों पर आक्षेप तथा नामनिर्देशनों की संवीक्षा ;
- (ट) अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने वाले निक्षेप, ऐसे निक्षेपों को करने का समय तथा रीति, तथा वे परिस्थितियां जिनमें ऐसे निक्षेपों का प्रतिदाय अभ्यर्थियों को किया जा सकेगा या उन्हें आयुक्त के प्रति समपहृत किया जा सकेगा ;
- (ठ) अभ्यर्थिता वापस लेना ;
- (ड) अभ्यर्थियों के अभिकर्ताओं की नियुक्ति ;
- (ढ) सविरोध तथा अविरोध निर्वाचनों में प्रक्रिया ;

- (ण) मतदान के लिए तिथि, समय तथा स्थान तथा निर्वाचनों के संचालन से संबद्ध अन्य विषय, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं --
- (i) प्रत्येक वार्ड के लिए मतदान केन्द्र नियत करना ;
 - (ii) वह समय जिसके दौरान मतदान केन्द्र मतदान के लिए खुला रहेगा ;
 - (iii) मतपत्रों का मुद्रण तथा जारी किया जाना ;
 - (iv) निर्वाचन नामावली को देखते हुए मतदाताओं की जांच ;
 - (v) मतदाताओं के प्रतिरूपण को निवारित करने के लिए मतदाता की दाईं तर्जनी या अन्य किसी अंगुली या अंग पर पक्की स्पाही के चिह्न लगाना तथा किसी व्यक्ति को उस दशा में मतपत्र दिए जाने का प्रतिषेध जब ऐसे पत्र के लिए आवेदन करने के समय उस पर पहले से ही ऐसा कोई चिह्न लगा हो ;
 - (vi) रीति जिसमें मत, विशेषकर अशिक्षित मतदाताओं या शारीरिक अथवा अन्य निःशक्तता वाले मतदाताओं को दशा में, दिए जाने हैं ;
 - (vii) उन मतों जिन पर आपत्ति की गई हो तथा निविदत्त मतों के सम्बन्ध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;
 - (viii) मतों की संवीक्षा, मतों की गणना, परिणामों की घोषणा तथा मत बराबर होने की दशा में अथवा एक से अधिक वार्डों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी सदस्य के लिए निर्वाचित होने की दशा में, प्रक्रिया ;
 - (ix) निर्वाचनों से संबद्ध कागज पत्रों की अभिरक्षा तथा व्ययन ;
 - (x) उपद्रव, हिंसा अथवा किसी अन्य पर्याप्त हेतुक से हुए विघ्न की दशा में मतदान का निलम्बन तथा नया मतदान कराना ;
 - (xi) गणना के पूर्व मतपेटियों के नष्ट होने अथवा उनसे छेड़छाड़ करने की दशा में नया मतदान कराना ;
 - (xii) मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु की दशा में मतदान को भंग करना ;
- (त) निर्वाचन अर्जी पर संदत्त की जाने वाली फीस ;
- (थ) गुरुद्वारा निर्वाचन आयुक्त या अन्य पदाधिकारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें ;

- (द) धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन उस अवसर के लिए अध्यक्ष के तथा धारा 16 के अधीन कार्यकारी बोर्ड के प्रधान तथा अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया ;
- (ध) शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्राधिकारी;
- (न) कोई अन्य विषय जिसके संबंध में हरियाणा सरकार इस धारा के अधीन नियम बनाना आवश्यक समझे अथवा जिसके संबंध में यह अधिनियम उपबंध नहीं करता अथवा अपर्याप्त उपबंध करता है, हरियाणा सरकार की राय में, उसके लिए उपबंध आवश्यक है ;
- (प) रीति जिसमें समिति के सदस्यों के निर्वाचन के परिणाम अथवा सहयोजन को प्रकाशित किया जाएगा, अथवा जिससे नियमों के अधीन किए गए आदेश सहजदृश्य सार्वजनिक स्थानों पर उनकी प्रतियां लगाकर, डोंडी पिटवा कर प्रकाशन द्वारा अथवा स्थानीय समाचारपत्रों में विज्ञापन द्वारा, विख्यात किए जाएंगे।

(3) इस धारा के अधीन कोई नियम बनाने में हरियाणा सरकार उपबंध कर सकेगी कि उसके किसी उत्सर्जन के लिए कारावास का, जिसकी अवधि छह मास तक बढ़ाई जा सकेगी, अथवा जुर्माने का, अथवा दोनों का, दण्ड दिया जा सकेगा।

(4) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र हरियाणा विधानसभा के समक्ष उस समय जब वह सत्र में हो, जो एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जाएंगे और यदि उस सत्र की जिसमें वे ऐसे रखे गए हों या ठीक बाद के सत्र की समाप्ति से पूर्व सदन उन नियमों में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाए या सदन सहमत हो जाए कि तत्पश्चात् यथास्थिति नियम ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होंगे इसलिए तथापि कोई ऐसा उपांतरण या वातिलकरण उन नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की विधि-मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

विनियम बनाने की
समिति की शक्ति।

53. (1) इस अधिनियम और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समिति इस अधिनियम के कृत्यों को करने के लिए विनियम बना सकती है।

(2) विशिष्टता, और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:-

- (क) यह विनिश्चय करने की रीति तथा सिद्धान्त कि समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्थार्थी गुरुमुखी पद और लिख सकता है या नहीं ;

- (ख) वह फीस और भत्ते जो कार्यकारी बोर्ड के पदाधिकारी और अन्य सदस्य अथवा समिति या किसी उपसमिति के अन्य सदस्य क्रमशः कार्यकारी बोर्ड, समिति या उपसमिति के अधिवेशन में हाजिर रहने या किसी अन्य कार्य के लिए प्राप्त करने के हकदार होंगे ;
- (ग) उस अन्तराल की कालावधियां जिन पर कार्यकारी बोर्ड के अधिवेशन किए जाएंगे, रीति जिसमें समिति या कार्यकारी बोर्ड या किसी उपसमिति के अधिवेशन बुलाए जाएंगे, कारबार के संव्यवहार के लिए गणपूर्ति तथा समिति, कार्यकारी बोर्ड या किसी उपसमिति के अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के लिए कार्य करने के लिए अनुसरण किए जाने वाली प्रक्रिया के नियम ;
- (घ) रीति जिसमें किसी ऐसे विषय को, जिस पर विनिश्चय की अपेक्षा हो, पदाधिकारियों तथा सदस्यों में परिचालित करके कार्यकारी बोर्ड के बहुमत वाला विनिश्चय प्राप्त किया जाएगा ;
- (ङ) वे विषय जिनके संबंध में कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष या अन्य पदाधिकारियों द्वारा अथवा समिति के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन किया जा सकेगा;
- (च) समिति के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन तथा शर्तें, जिनके अन्तर्गत ऐसे अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की भर्ती, स्थानान्तरण, ज्येष्ठता नियत करना, पदोन्नति तथा उनके विरुद्ध आनुशासनिक कार्रवाई या दंड भी हैं ;
- (छ) ऐसे कोई अन्य कृत्य या धार्मिक या धर्मार्थ कार्य जो उनके अतिरिक्त धारा 24 में विनिर्दिष्ट हैं, समिति द्वारा किए जा सकेंगे, तथा वे शर्तें और निर्बंधन जिनके अधीन रहते हुए वे कृत्यों का पालन या कार्य किए जाएंगे ;
- (ज) वह रीति जिसमें गुरुद्वारा निधि के नकद तथा अन्य धन को निक्षिप्त या विनिहित किया जाएगा ;
- (झ) प्ररूप जिसमें समिति के लेखे रखे जाएंगे तथा ऐसे लेखों का प्रकाशन;
- (ञ) वह रीति जिसमें बोर्ड विनियम या इसके अधीन किया गया कोई आदेश सहजदृश्य सार्वजनिक स्थानों पर उसकी प्रतियां लगाकर, डोंडी पिटवाकर, प्रकाशन द्वारा या स्थानीय समाचारपत्रों में विज्ञापन द्वारा विख्यात किया जाएगा ;
- (ट) अन्य कोई विषय जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जाए।

व्यावृत्ति तथा अन्य
विधियों पर इस
अधिनियम का
अध्यारोही प्रभाव।

54. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 के उपबंध हरियाणा राज्य क्षेत्र के भीतर लागू होने समाप्त हो जाएंगे।

(2) सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 के अधीन बनाया गया कोई नियम या विषय पर तत्समान विधान द्वारा बनाए गए विनियम इस अधिनियम के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए हरियाणा राज्य की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर निरंतर क्रियात्मक रहेंगे जहां तक उक्त नियम या विनियम हरियाणा सरकार या हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति जैसी भी स्थिति हो, द्वारा उचित रूप से संशोधित या पुनः प्रारूपित किए जाते हैं।

(3) राज्य की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर इस अधिनियम का अध्यारोही के प्रभाव के होते हुए भी,—

(क) 1925 के अधिनियम के अधीन की गई कोई नियुक्ति, जारी की गई कोई अधिसूचना, किया गया कोई आदेश या बनाया गया कोई नियम, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, प्रवृत्त बना रहेगा और उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किया गया, जारी किया गया या बनाया समझा जाएगा जब तक कि ये इस अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन बनाए गए किसी विधान जारी की गई किसी अधिसूचना, किए गए किसी आदेश या बनाए गए किसी नियम या द्वारा अतिष्ठित नहीं कर दिया जाता ;

(ख) पंजाब सिख गुरुद्वारा बोर्ड द्वारा या उसके साथ या उसके लिए बनाए गए सभी बजट प्राक्कलनों, उपगत सभी बाध्याताओं और दायित्वों की गई सभी संविदाओं तथा वचनबद्ध किए गए सभी विषयों तथा कार्यों के बारे में यह समझा जाएगा कि उन्हें समिति द्वारा या उसके साथ या उसके लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बनाया गया है, उपगत किया गया है अथवा उनको वचनबद्ध किया गया है ;

(ग) सभी गुरुद्वारा संपत्ति, चल तथा अचल और किसी भी स्वरूप तथा किस्म के सभी हित जो, ऐसी स्थापना के ठीक पूर्व पंजाब सिख गुरुद्वारा बोर्ड में निहित हों उसके हों या उसे देय हों, किसी भी प्रकार के ऐसे सभी अधिकारों, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों सहित, जो बोर्ड द्वारा उपयोग या उपभोग में लाए जाते रहे हों या कब्जे में हों, समिति तथा इस अधिनियम के प्रारंभ पर धारा 16 के अधीन गठित किए जाने वाले कार्यकारी बोर्ड में निहित हो जाएंगे ;

(घ) ऐसी स्थापना के ठीक पूर्व बोर्ड को देय सभी धनराशियां जिनके अंतर्गत भाटक भी है, समिति को देय समझी जाएगी ;

(ङ) सभी वाद तथा अन्य विधिक कार्यवाहियां जो पंजाब सिख गुरुद्वारा बोर्ड द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित की गई हो या संस्थित की जा

सकती थी हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी या संस्थित की जा सकेंगी ;

- (च) किसी ऐसी विल, विलेख या अन्य लिखत का, जिसमें बोर्ड के पक्ष में कोई बसीयत, दान या न्यास अंतर्विष्ट हो, ऐसी स्थापना से यह अर्थ लगाया जाएगा मानो उक्त बोर्ड या न्यास के स्थान पर समिति उसमें नामित थी।
- (छ) हरियाणा किराया (नियंत्रण तथा बेदखली) अधिनियम, 1973 के उपबंध या गुरुद्वारा समिति या गुरुद्वारा कार्यकारी बोर्ड द्वारा प्रबन्धित गुरुद्वारा की अचल सम्पत्तियां किसी निर्माण को लागू नहीं होंगी ;

55. हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति या कार्यकारी बोर्ड इन गुरुद्वारों के अधीन गुरुद्वारों तथा सम्पत्ति की सूची, कि या ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा, अधिसूचित गुरुद्वारा या स्थानीय गुरुद्वारा है विहित रीति में उसे घोषित करने के लिए भेजेगा। ऐसे ऐतिहासिक गुरुद्वारों के प्रबन्धन के अधीन गुरुद्वारे तथा सम्पत्ति इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची I का भागरूप होंगी। चूंकि गुरुद्वारों तथा सम्पत्तियां, जहां अधिसूचित गुरुद्वारे की वार्षिक आय बीस लाख से अधिक है को इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची II तथा स्थानीय गुरुद्वारे को इस अधिनियम की अनुसूची III में रखा जाएगा :

राज्य सरकार को मेजी जाने वाली अनुसूचित गुरुद्वारा की सम्पत्ति की सूची।

परन्तु ऐतिहासिक, अधिसूचित या स्थानीय गुरुद्वारे के प्रबन्धन के अधीन कोई गुरुद्वारा या अचल या चल सम्पत्ति राज्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना द्वारा या तो ऐतिहासिक अधिसूचित या स्थानीय गुरुद्वारे, जैसी भी स्थिति हो, के रूप में घोषित किया जा सकता है या इस अधिनियम तथा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों, जैसी भी स्थिति हो, के प्रयोजनों के लिए स्थानीय गुरुद्वारे या अधिसूचित गुरुद्वारे के प्रबन्धन द्वारा प्रस्ताव पारित करके विहित रीति में अनुसूची I से III में अधिसूचित गुरुद्वारे अर्थात् अनुसूची I के भीतर ऐतिहासिक गुरुद्वारा तथा अनुसूची II में उसी प्रकार का कोई अधिसूचित गुरुद्वारा तथा अनुसूची III में स्थानीय गुरुद्वारे को लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई संशोधन, परिवर्धन या विलोपन किया जा सकता है।

56. इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन तथा अनुपालन के लिए इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, राज्य सरकार, आदेश द्वारा, जैसी अपेक्षा हो, कोई भी बात जो इसे कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए उचित तथा आवश्यक प्रतीत हो तथा ऐसा आदेश जो यह ठीक समझे पास कर सकती है।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

अनुसूची I**हरियाणा राज्य में ऐतिहासिक गुरुद्वारों की सूची**

सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 की धारा 85 के अधीन यथा अधिसूचित :

जिला अम्बाला

1. गुरुद्वारा श्री मन्जी साहिब, अम्बाला शहर
2. गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहिब, आठवीं पादशाही (अम्बाला)

जिला जीन्द

3. गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब, जीन्द
4. गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब, धमतान साहिब (जीन्द)

जिला कुरुक्षेत्र

5. गुरुद्वारा साहिब, छठी पादशाही कुरुक्षेत्र

जिला पंचकूला

6. गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब, दसवीं पादशाही पंचकूला

जिला यमुनानगर

7. गुरुद्वारा गुरु गोबिन्द साहिब, कपाल मोचन, तहसील जगाधरी

जिला कैथल

8. गुरुद्वारा छठी पादशाही तथा नवीं पादशाही, चीका

अनुसूची II

हरियाणा राज्य में बीस लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय रखने वाले
अधिसूचित गुरुद्वारों की सूची

सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 की धारा 87 (i) (क) के अधीन यथा अधिसूचित :

क्रम संख्या	जिला	तहसील	राजस्व	गुरुद्वारे का नाम
1	सिरसा	डबवाली	केवल	केवल
2	अम्बाला	अम्बाला	भानोखेड़ी	गुरुद्वारा गोबिन्द सिंह साहिब
3	अम्बाला	अम्बाला	सूलर	सूलर
4	अम्बाला	अम्बाला	चानी	गुरुद्वारा चानी
5	अम्बाला	नरायणगढ़	रायपुर	रानीके रायपुर और मानक टबरा
6	अम्बाला	अम्बाला	थारवा	दसवीं पादशाही
7	अम्बाला	कालका	मानक ताबरा	दसवीं पादशाही मारुफ गुरुआना
8	यमुनानगर	जगाधरी	बिलासपुर	बिलासपुर गुरुद्वारा
9	यमुनानगर	जगाधरी	बलाचौर	आगमपुरा
10	यमुनानगर	जगाधरी	जगाधरी	गुरुद्वारा गुरु ग्रन्थ साहिब
11	कुरुक्षेत्र	थानेसर	बामा	गुरुद्वारा नवीं पादशाही
12	कुरुक्षेत्र	थानेसर	यारा	गुरुद्वारा यारा
13	कुरुक्षेत्र	थानेसर	बकाली	धर्मशाला
14	कुरुक्षेत्र	थानेसर	थानेसर	धर्मशाला खैसा
15	कुरुक्षेत्र	थानेसर	धोगे	गुरुद्वारा दयोदनी साहिब नवीं पादशाही
16	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	गुरुद्वारा साहिब पादशाही नौरनी (भौर साहिब)
17	महेन्द्रगढ़	नारनौल	नारनौल शहर	गुरुद्वारा साहिब नवीं पादशाही

अनुसूची III

हरियाणा राज्य में बीस लाख रुपये से कम वार्षिक आय रखने वाले
स्थानीय गुरुद्वारों की सूची

सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 की धारा 87 (1) (ख) के अधीन यथा अधिसूचित

क्रम संख्या	जिला	तहसील	राजस्व	गुरुद्वारे का नाम
1	2	3	4	5
		सिरसा		
1	201	सिरसा	सिरसा	गुरुद्वारा गुरु गोबिन्द साहिब
2	202	डबवाली	डबवाली	गुरु अस्थान डबवाली
		फतेहाबाद		
3	204	रतिया	रतिया	रतिया
		रोहतक		
4	205	रोहतक	रोहतक	गुरुद्वारा बंगला साहिब
5	206	महम	लखन माजरा	मंजी साहिब
		करनाल		
6	207	करनाल	करनाल	मंजी साहिब
7	अनअनुसूचित	नीलोखेड़ी	तरावड़ी	गुरुद्वारा नवीं पादशाही
8	(1)अनअनुसूचित	इन्द्री	गुढा	गुरुद्वारा गुढा
9	(2)अनअनुसूचित	इन्द्री	गोरगड	डेरा अन्दरीया
		अम्बाला		
10	221	अम्बाला	मार्डोन	मार्डोन
11	अनअनुसूचित	अम्बाला	लखनौर साहिब	लखनौर साहिब
		कुरुक्षेत्र		
12	(i) अनअनुसूचित	पेहोवा	पेहोवा	गुरुद्वारा नवीं पादशाही दसवीं पादशाही
13	(ii) अनअनुसूचित	पेहोवा	सियाना सैयदा	गुरुद्वारा दसवीं पादशाही

1	2	3	4	5
14	(iii) अनअनुसूचित	पेहोवा	कराहा	गुरुद्वारा तरबियानी साहिब
15	(i) अनअनुसूचित	शाहबाद	शाहबाद	दिल्ली दरवाजा जानिब धारबी
16	(ii) अनअनुसूचित	शाहबाद	शाहबाद	गुरुद्वारा महोल्ला माजरी जानिब शामली
17	(iii) अनअनुसूचित	थानेसर	अजराना कला	गुरुद्वारा नवीं पादशाही
18	(iv) अनअनुसूचित	शाहबाद	शाहबाद	गुरुद्वारा मस्तगढ़
19	(v) अनअनुसूचित	शाहबाद	शाहबाद	गुरुद्वारा दरवाजा शामालिक जानिब गार्बी
20	(vi) अनअनुसूचित	शाहबाद	शाहबाद	धर्मशाला श्री गुरु ग्रन्थ साहिब
यमुनानगर				
21	अनअनुसूचित	जगाधरी	झींवरहेड़ी	नवीं पादशाही
22	228	जगाधरी	जगाधरी	गुरुद्वारा जगाधरी (हनुमान गेट)
23	230	जगाधरी	सुढाल	सुढाल
24	अनअनुसूचित	जगाधरी	जगाधरी	गुरुद्वारा कपाल मोचन
कैथल				
25	(i) अनअनुसूचित	कैथल	कैथल	गुरुद्वारा वाड़ा नवीं पादशाही पात्ती कैथ सेठ
26	(ii) अनअनुसूचित	कैथल	कैथल	थंडर साहिब पात्ती डोगरा के रूप में जाना जाने वाला गुरुद्वारा मंजी साहिब
27	अनअनुसूचित	गुहला	गढ़ी नाजीर	गुरुद्वारा नवीं पादशाही

अनुसूची IV

(देखिए धारा.15 (3))

शपथ प्ररूप

मैं, _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती _____
निवासी _____ हल्का _____ से हरियाणा सिख गुरुद्वारा
प्रबंधक समिति के रूप में निर्वाचित (या सहयोजित) होने पर श्री गुरु ग्रन्थ साहिब के नाम की
सौगंध खाता हूँ कि जिन कर्तव्यों को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसका निर्वहन मैं निष्ठापूर्वक,
ईमानदारी और शुद्ध अन्तःकरण से सिख धर्म के अधिकतम हित के लिए करूंगा।

स्थान :

घोषक

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

वर्तमान हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधक) विधेयक, 2014 विधिक प्रक्रिया उपलब्ध कराने के लिये तत्पर प्रयास है जिसके द्वारा ऐसे गुरुद्वारे पूजा के आवश्यक रूप से धर्मनिष्ठ स्थानों के रूप में हरियाणा के सिखों द्वारा सम्मानित उनकी उत्पत्ति तथा प्रथागत उपयोग के लिये आभासी होने हेतु कथित समुदाय के धार्मिक विचारों से संगत इसे बनाने के लिये उनके उचित उपयोग, प्रशासन, नियन्त्रण, वित्तीय प्रबंधन सुधारों के लिये हरियाणा के सिखों के एकमात्र नियंत्रण के अधीन प्रभावी रूप से तथा स्थाई रूप से लाया जा सके। वर्तमान में सिख गुरुद्वारे सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 तथा इसके अधीन बनाए गये नियमों तथा विनियमों के उपबन्धों द्वारा शासित किये जा रहे हैं। तथापि, हरियाणा के सिखों के दिमागों में असंतुष्टता भरी हुई है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है तथा उन्हें अलग कर दिया गया है तथा हरियाणा के सिख गुरुद्वारों के कार्य के संबंध में देय महत्त्व नहीं दिया जा रहा है तथा एस.जी.पी.सी. अमृतसर में इसके मुख्यालय से हरियाणा के गुरुद्वारों के कार्य का प्रबंधन किया जा रहा है तथा गुरुद्वारा निधि का उपयोग एस.जी.पी.सी. द्वारा उनकी अपनी मौज के दृष्टिगत सिख गुरुद्वारों, संस्थाओं या अन्य सामाजिक संगठनों के रख रखाव के प्रयोजन की बजाए हरियाणा के सिखों के मुक्तान के लिये किया जा रहा है तथा हरियाणा के सिखों से चंदे के माध्यम से एकत्रित गुरुद्वारा निधियों का प्रयोग करने से पूर्व उन द्वारा परामर्श भी नहीं लिया जा रहा है। गुरुद्वारा की निधियों के अपारदर्शी तथा उचित उपयोग के लिये विचारण योग्य शिकायतों के अतिरिक्त हरियाणा के राज्य की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर स्थित सिख गुरुद्वारों के प्रबंधन सहित उनके धार्मिक कार्यों में भाग लेने तथा प्रभावी रूप से प्रबंधन करने में हरियाणा के सिख समुदाय के प्रत्यक्ष भेदभाव को बांटने के कारण हरियाणा राज्य के लिये पृथक सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के गठन के लिये हरियाणा के विभिन्न सिख संगठनों तथा व्यक्तियों से बहुत से प्रतिवेदन आये हैं।

हरियाणा राज्य ने श्री एच.एस. चट्टा तथा श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में दो निरंतर समितियां गठित की हैं जिसने अलग विधान अधिनियमित करते हुए अलग हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का गठन करने के लिये औचित्य, सम्भाव्यता तथा वांछनीयता के रूप में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सुरजेवाला समिति की रिपोर्ट में संवैधानिक तथा विधिक प्रक्रिया की जांच करने के उपरान्त भारत के संविधान की अनुसूची VIII सूची II, प्रविष्ट 32 के साथ पठित अनुच्छेद 246 के अधीन, सभी अन्य समर्थ बनाने वाले उपबंधों के साथ गठित पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 72 के अनुसरण में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु हरियाणा विधान सभा के विचारण हेतु विधेयक का प्रारूप लाने की सिफारिश की गई है, जो राज्य विधान सभा को विधेयक पारित करने की शक्तियां प्रदान करते हैं।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा,
मुख्य मंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 11 जुलाई, 2014.

सुमित कुमार,
सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबन्ध) अधिनियम, 2014 की धारा 50 के अनुसार, गुरुद्वारा चुनाव आयोग को बनाने का उपबंध है। आयोग की स्थापना तथा इसके अधिकारियों और चुनाव करवाने का खर्च हरियाणा सरकार के राजकोष से वसूल किया जायेगा।

2. हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबन्ध) अधिनियम, 2014 की धारा 46 के अनुसार, हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग का उपबंध है। इस न्यायिक आयोग के खर्च का भुगतान हरियाणा सरकार के राजकोष से किया जायेगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक का खण्ड 52 अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित के लिये नियम बनाने हेतु राज्य सरकार को सशक्त करती है। कार्यकारी शक्तियों का यह प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है; अतः प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी यह ज्ञापन हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 126 के अधीन यथा अपेक्षित संलग्न है।